भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार ...

Model Answer Key

Date : 16/06/2019

1. भारतीय संविधान के उन प्रमुख लक्षणों को बताइए जो कि यू.एस.ए. के संविधान से लिये गये है ?

1. मूल अधिकार
2. लिखित संविधान
3. न्यायिक पुनर्रालोकन
4. उपराष्ट्रपति
5. न्याय पालिका की स्वतंत्रता
6. यथोचित विधि प्रक्रिया
7. राष्ट्रपति पर महाभियोग

2. अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति से संबंधित है। 1952 में राष्ट्रपति के आदेश पर इसे अस्थायी तौर पर लागू किया। इस कारण से जम्मू–कश्मीर पर संविधान का भाग 4, 5 वी व 6टीं अनुसूची वित्तीय आपात आदि लागू नहीं होते।

3. बंदी प्रत्यक्षीकरण

बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हेवियस कॉर्पस इसका अर्थ है शरीर प्राप्त करना। इसके माध्यम से न्यायालय यह आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश किया जाए जिससे वह बंदी बनाये गये व्यक्ति के औचित्य की जांच कर सकें । यह रिट निजी व्यक्ति के विरूद्ध भी जारी होती है। (अनूच्छेद– 32)

4. अनुच्छेद 142

उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद में पूर्ण न्याय के एिल आवश्यक हो। इस प्रकार पारित डिक्री या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र प्रवर्तनीय होगा

संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी

1. Which features of Indian constitution are borrowed from USA ?

1. Written Constitution
2. Vice- President as the ex-office Chairman of Rajya Sabha
3. Fundamental Rights
4. judicial review
5. Preamble

2. Article 370 :

Article 370 of the Indian constitution is an article that gives autonomous status to the state of Jammu and Kashmir.

The article is drafted in Part XXI of the Constitution.

It exempted the State from the complete applicability of the Constitution of India. The State was allowed to have its own Constitution.

3. Habeus Corpus :

It is a write issued under article 32. A writ of habeas corpus (which literally means to "produce the body") is a court order demanding that a public official to deliver an imprisoned individual to the court and show a valid reason for that person's detention.

4. Article 142 :

Article 142 provides that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament .

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

व्यक्ति को हाजिर कराने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या अवमानना का अन्वेषण करने या दंड देने के लिए कोई आदेश करने की शक्ति होगी।

5. मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बुनियादी अंतर लिखिए।

- भाग III में दिए मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि नीति–निदेशक तत्व सकारात्मक है। ये राज्य की शक्ति व कार्य में वृद्धि करते है।
- मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति–निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते है, जबकि नीति–निदेशक तत्व सामाजिक–आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है।
- नीति–निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, जबकि मौलिक अधिकारों पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है।

6. स्वरन सिंह समिति

1976 में मौलिक कर्त्तयों के लिए सरदार स्वरन सिंह समिति का गठन किया गया जिसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की परन्तु 42 वें संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।

(वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य है।)

7. नीलम संजीवा रेड्डी

- नीलम संजीव रेड्डी (1913 से 1996)
- ये आन्ध्रप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे।
- 1967 से 1969 एवं 1977 में लोकसभा अध्यक्ष और 1977 से 1982 में निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने।

लिखित पुस्तके– Without fear or Favour: Reminiscences and Reflections of a President

8. मिनर्वा मिल केस

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघें 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया की न्याय पूर्ण अवलोकन संविधान का आधार भूत लक्षण है। साथ में सविंधान की संशोधन शक्ति को भी माना और कहा यदि कोई संविधन संशोधन आधारभूत ढांचे के प्रतिकूल है तो न्यायालय उसे शून्य अवैध घोषित कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय ने 42 वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 में जोड़े गये खंण्ड (4 व

5. **Write down two basic difference between fundamental rights and Directive principles of state policies.**

1. Fundamental rights are negative in nature, in the sense that it prevents the government from doing certain things. In contrast, Directive Principles are positive, as it requires the government to do certain things.

2. Fundamental Rights are justiciable, as they can be enforced, whereas the directive principles are non-justiciable, in that, they are not enforceable in the court of law.

6. Swarn singh Commiitte :

In 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendations about fundamental duties.

The Congress Government at Centre accepted the recommendations and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. This amendment added a new part, namely, Part IVA to the Constitution & added fundamental duties to the constitution.

7. Neelam Sajeeva Reddy :

He was the sixth President of India, serving from 1977 to 1982. he went on to hold several key offices in independent India—as the first Chief Minister of Andhra Pradesh, a two-time Speaker of the Lok Sabha and a Union Minister—before becoming the youngest-ever Indian president.

8. Minerva Mill Case :

It is a landmark decision of the Supreme Court of India

The court unanimously ruled that the power of the parliament to amend the constitution is limited by the constitution. Hence the parliament cannot exercise this limited power to grant itself an unlimited power.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

9. सचेतक–

सचेतक संसदीय प्रणाली में दल के नेता की आंख और कान के रूप में कार्य करता है और अपने दल के सदस्यों का पद प्रदर्शन करता है। यह दल में अनुशासन बनाये रखने का कार्य करता है।

10. प्रत्ययानुदान

कभी–कभी किसी सेवा या मद की अनिश्चित प्रकृति के कारण कोई ऐसी आकस्मिक जरूरत उपस्थित हो जाती है जिसे बजट के निर्धारित ढांचे में प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। सरकार की ऐसी आकस्मिक जरूरतों के लिए संसद प्रत्ययानुदान स्वीकृत करती है। इसे प्रचलित भाषा में लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया 'ब्लैंक चैक' भी कहते हैं।

11. लेम डक सत्र

यह नयी लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य, जो नयी लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते 'लेम–डक' कहलाते है।

12. विशेषाधिकार प्रस्ताव

यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। यदि मंत्री ने सही तथ्यों को छिपाया हो या सदन को गलत सूचना दी हो तो मंत्री के इस व्यवहार की निन्दा करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावा लाया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

13. फास्ट ट्रैंक न्यायालय

फास्ट ट्रैंक न्यायायल लम्बीत मामालों विशेषकर अपराधिक प्रकृति के मामलों पर तेज गति से निपटाने से जुड़ी है। जिसकी जरूरत 11 वें वित्त आयोग ने भी बताई इसमें उन मामलों को लिया जाता है जो 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। प्रत्येक फस्ट ट्रैंक प्रत्येक माह में 14 सत्र विचारण मामले निपटायेगी।

9. Whip :

A whip is an official of a political party whose task is to ensure party discipline in a legislature.
This usually means ensuring that members of the party vote according to the party platform, rather than according to their own individual ideology or the will of their constituents.

10. Vote of credit :

It is like a blank cheque by Lok Sabha to government of India. It is granted when an unexpected demand has arisen upon resources of India whose magnitude or character of service cannot be stated clearly.

11. Lame duck session :

In Parliament a lame duck session is conducted after election of new members but before they are installed. This refers to a session in which the members participate for last time because of failure to re-election. If a person loses an election, but continues to hold the office till new officer is installed can also be called as Lame Duck Session.

12. Priveledge Motion :

Members of Parliament enjoy certain parliamentary privileges which are bestowed on them collectively and individually so that they can discharge their duties and functions effectively. In the case that any of these immunities or rights are disregarded by any MP, the act is regarded as a 'breach of privilege' and is a punishable offence under Laws of Parliament.

13. **Fast track courts :**

They are the additional session courts set up for speeding up the trail of long pending criminal cases. These courts are set up by Central governments executive orders in the year 2002. They are preceded by retired session Court judges and are appointment for a term of 2 years.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

14. समवर्ती सूची

इस सूची में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों के महत्व के 52 विषय (मूलतः 47) शामिल हैं, जिन पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को विधि–निर्माण की शक्ति प्राप्त है, परन्तु दोनों के द्वारा किसी विषय पर निर्मित विधि मे परस्पर विरोध की स्थिति में केन्द्र द्वारा निर्मित विधि को मान्यता दी जाती है।

15. सरकारिया आयोग

संघ–राज्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयेग का गठन किया गया जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अन्य सदस्य थे– आर. एस. सेन तथा बी. शिवरामन। आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

14. Concurrent list :

The Concurrent List is a list of 52 items given in the Seventh Schedule to the Constitution of India. It includes the power to be considered by both the central and state government.

In case of conflict, the laws made bny central government prevails.

15. Sarkaria commision :

In June 1983 the Union Government appointed a commission under the chairmanship of Justice R.S. Sarkaria to review the question of centre state relations. It reccomended for establishing a permanent Inter-State Council as an independent national forum for consultation with a mandate well defined in accordance with article 263.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

100 शब्दों में (6 अंक)

A. भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए।

उद्देशिका या प्रस्तावना (Preamble) किसी भी विषय का सार एवं परिचय होता है, जिसमें उस विषय से संबंधित संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है।

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए'' दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा मे आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्त सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसर्पित करते हैं।

B. अनुच्छेद 19 पर टिप्पणी लिखिए।

अनुच्छेद– 19 सभी नागरिकों को

– अनुच्छेद– 19 नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करता है–

– सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, (अनुच्छेद– 19 (1) a)।

– बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद– 19 (1) b)।

– समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद– 19 (1) c)।

– भारत के संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आवागमन (भ्रमण) की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद– 19 (1) d)।

– भारत के समूचे भाग में रहने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, (अनुच्छेद– 19 (1) e)।

– भारत के सभी नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति का अधिकार होगा, (अनुच्छेद– 19 (1) g)–

1. सूचना का अधिकार (अनुच्छेद– 19 (1) a) में अंतनिर्हित है।

2. PUCL (Public Union for Civil Liberty) बनाम् भारत संघवाद (2003) में न्यायपालिका द्वारा सूचना का अधिकार दिया गया है।

3. संपत्ति का अधिकार। (अनुच्छेद– 19 (1) f) एवं (अनुच्छेद– 31) को 44 वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तूमान में यह एक विधिक अधिकार के रूप में (अनुच्छेद– 300 (a)) में है।

A. Write Down the Preamble to the Indian Constitution.

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION

B. write a short note on article 19.

Article 19: Protection of certain rights regarding freedom of speech. Article 19 is the most important and key article which embodies the "basic freedoms". Article 19(1) provides that all citizens shall have the right- (originally 7, now 6)

- to freedom of speech and expression;
- to assemble peaceably and without arms;
- to form associations or unions;
- to move freely throughout the territory of India;
- to reside and settle in any part of the territory of India;
- omitted by 44th amendment act. (it was right to acquire, hold and dispose of property)
- to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

However, Freedom of speech and expression is not absolute. As of now, there are 8 restrictions on the freedom of speech and expression. These are in respect of the sovereignty and integrity of the country. These 8 restrictions were:

1. Security of the state
2. Friendly relations with foreign states
3. Public Order
4. Decency or morality
5. Contempt of Court
6. Defamation
7. Incitement to offence
8. Sovereignty and integrity of India.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

C - उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिटों में क्या अंतर है ? लिखिए।

जैसा हम पहले देख चुके हैं उच्चतम न्यायालय को भी अनुच्छेद 32 के अधीन इसी के समानांतर रिट धि ाकारिता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रिटें निकालते हैं वह एक ही प्रकृति की हैं। उच्चतम न्यायालय की रिट संपूर्ण भारत में मान्य है। उच्च न्यायालय की रिट इस बात पर आश्रित होती है कि न्यायालय की राज्यक्षेत्रीय सीमाएं क्या है और दूसरे इस बात पर कि क्या वाद हेतुक न्यायालय के राज्यक्षत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है या नहीं। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है। यदि राज्य ने किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन किया है ता उसे उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का मूल अधिकार है। वह सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है। अनुच्छेद 226 में जो उपचार दिया गया है वह किसी व्यक्ति का मूल अधिकार नहीं हैं इसलिए अनुतोष देना न्यायालय के विवेक पर आधारित है। किंतु साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत होता है मनमाने ढंग से नहीं है। एक पहलु से देखें तो उच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार अधिक है। अनुच्छेद 226 में शक्ति का उद्देश्य बताया गया है– भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकरों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए। किसी अन्य प्रयोजन के लिए – इन शब्दों से उच्च न्यायालय को यह शक्ति मिलती है कि वह किसी भी विधिक अधिकार को प्रवृत करने के लिए रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 के अधीन उसको अधिकरिता उसकी अधिकारिता मूल अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। इसके विपरीत अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के संबंध में है।

आनुकल्पिक उपचार की विद्यमानता से अनु. 226 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन नहीं होता। किन्तु यदि समान प्रभावकारी आनुकल्पित उपचार है तो न्यायालय याचिका ग्रहण नहीं करेगा। जहां आनुकल्पित उपचार दुर्भर है वहां न्यायालय को रिट याचिका ग्रहरण करनी चाहिए। संविदा के अधीन दावे को प्रस्तुत कराने के लिए याचिका ग्रहण नहीं की जाती।

16.21 उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर

C. differentiate between writ issued by Supreme Court and high court.

1. The Writ Jurisdiction of Supreme Court is mentioned under Article 32 of the Indian Constitution, while the Writ Jurisdiction of High Courts is mentioned under Article 226 of the Indian Constitution.

2. The High Courts have wider powers as to compare to Supreme Court in issuing writs.

3. The Supreme Court can issue writ only in case of violation of any of the fundamental rights contained in Part-III of the constitution, while the High Courts can issue writs not only in case of violation of fundamental rights but also in case of violation of any legal rights of the citizens provided that a writ is a proper remedy in such cases, according to well-established principles.

4. Article 32 of the Constitution of India imposes on the Supreme Court a duty to issue the writs, whereas no such duty is imposed on the High Courts by Art-226.

5. The jurisdiction of the Supreme Court extends all over the country, whereas that of the High Courts only to the territorial confines of the particular state and the Union Territory to which its jurisdiction extends.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

अपनी अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है (अनु. 227) उच्चतम न्यायालय को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अधिक विस्तार है किन्तु उच्चतम न्यायालय ज्येष्ठ भ्राता है। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के ठीक ऊपर रखा गया है। संविधान के कुछ उपबंध उच्चतम न्यायालय को वरिष्ठ या उच्चतर स्थान प्रदान करते हैं।

D - क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुद्रा है ?

यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्टपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, किन्तु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक 'रबड़ की मुहर' है। वस्तुतः कई ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें राष्ट्रपति को अपनी विवेक से ही निर्णय करना होता है। ऐसी कुछ स्थितियाँ निम्नलिखित हैं–

- यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चित करना होता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है?
- कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्यौता देता है जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो।
- यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास ,खो दे तथा अविश्वास–मत या विश्वासमत का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे तो भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है।
- अनुच्छेद 74 (1) में 44 वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति तो है ही कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सके।
- यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार न करे जो चुनाव में उस को लाभ पहुंचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो।
- अनुच्छेद 78 में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बताई गई जो

D. Is President a rubber stamp ?

India has a parliamentary form of government which implies that the President is the head of state while the Prime Minister is the head of the government.

Indian Presidency is symbolically similar to the British monarchy. Whereas the real power at most times resides with the legislature, the monarch's role is that of a 'political referee'.

Indian Presidents are not entirely rubber stamp because president can suggest ministers to reconsider their actions, President through public speeches can hint at discordance with the legislature and sway public opinion accordingly.

Where no party secures majority after elections the President has the freedom to dissolve the Parliament and call for fresh elections.

There are various examples of presidents of india who proved that president is not merely a rubber stamp. India's first President Dr. Rajendra Prasad is known to have frequently disagreed with then PM Jawaharlal Nehru, seventh President Giani Zail Singh is known to have a rocky relationship with PM Rajiv Gandhi.

K R Narayanan, India's tenth President, famously told the Parliament that he is 'not a rubber stamp' while returning a proposal calling for imposition of President's rule in UP.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 (ख) के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारियाँ मांग सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 (ग) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चत कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया।

E - राज्यपाल की शक्तियों पर प्रकाश डालिए।

राज्यपाल की शक्तियाँ

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना।
- राज्य विश्वविद्यालयों के कुपतियों की नियुक्ति करना।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से केवल परामर्श लिया जाता है।
- राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, परन्तु इन्हें केवल उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।

1. विधायी कार्य

- राज्यपाल के विधायी कार्य, राष्ट्रपति के ही समान है। क्योंकि राज्यपाल भी विधान मंडल का अंग होता है। जैसे– राष्ट्रपति, संसद का अंग होता है।
- राज्यपाल को अनुच्छेद– 213 द्वारा किसी विधेयक को अनुमति देने या रोकने की शक्ति प्राप्त है।
- यदि विधानसभा में ऐंग्लो–इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हों, तो राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।
- जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां राज्यपाल विधान परिषद् में 1/6 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है।
- जब राज्यपाल के समक्ष किसी विधि को हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं–
  1. वह विधेयक को अनुमति प्रदान कर सकता है।
  2. वह विधेयक को अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
  3. यदि विधेयक, धन विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल उसे मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।

E. Throw light on powers of governor?

The primary function of the governor is to reserve, protect and defend the constitution and the law as incorporated in his/her oath of office under Article 159 of the Indian constitution in the administration of the State affairs. All his/her actions, recommendationsand supervisory powers (Article 167c, Article 200, Article 213, Article 355, etc.) over the executive and legislative entities of a State shall be used to implement the provisions of the Constitution. In this respect, the governor has many different types of powers:

Executive powers : The Constitution vests in the governor all the executive powers of the state government. The governor appoints the chief minister, who enjoys the support of the majority in the Legislative Assembly. The governor also appoints the other members of the Council of Ministers and distributes portfolios to them on the advice of the chief minister.

Legislative powers: The state head summons the sessions of both houses of the state legislature and prorogues them. The governor can even dissolve the Vidhan Sabha. These powers are formal and the governor while using these powers must act according to the advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister.

Discretionary powers: The governor can use these powers:

- When no party gets a clear majority, the governor can use his discretion in the selection of chief

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

4. लेकिन इसी के साथ राज्यपाल को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जिसमें वह किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।

– सामान्यतः कोई संघीय विधेयक को जब पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उसे अनुमति देना बाध्यकारी होता है।

– लेकिन यदि राज्यपाल द्वारा राज्य के आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पुनर्विचार के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है।

– यदि राष्ट्रपति व राज्यपाल ने किसी पर अध्यादेश जारी किया है और उस पर विवाद हो, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को मान्यता दी जाएगी।

2. न्यायिक शक्तियां

– न्यायिक शक्तियों में भी राज्यपाल, राष्ट्रपति के समान ही है। परन्तु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षम नहीं कर सकता, केवल सजा कम कर सकता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां

– भारतीय संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत अनुच्छेद– 163 में यह वर्णित है कि राज्यपाल उन मामलों में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसमें वह मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता द्वारा कार्य नहीं करेगा। राज्यपाल निम्नलिखित विषयों पर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है–

1. असम का राज्यपाल, असम राज्य की खानों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी को जिला परिषद को सौंप देगा।

2. यदि राज्यपाल को निकट के किसी संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर दिया जाए, तो इन केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन में वह विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा।

3. जबकि संविधान में राष्ट्रपति को कोई विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है।

विशेष उत्तरदायित्व

– महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व (यदि राष्ट्रपति ने ऐसा निर्देश दिया हो) विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ आदि के लिए विकास बोर्डों की स्थापना, (अनुच्छेद – 317 (2))।

– नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तदायित्व है कि वह नागालैंड में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें, (अनुच्छेद– 371 क)।

ministerial candidate to prove the majority as soon as possible.

- He submits reports on his own to the president or on the direction of the president regarding the affairs of the state.

- He can withhold his assent to a bill and send it to the president for his approval.

- During an emergency rule per Article 353, governor can override the advice of the council of ministers if specifically permitted by the president only.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

– मणिपुर के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाली समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए होता है, (अनुच्छेद– 371 ग)।
– सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व शांति के लिए तथा जनता की उन्नति व साम्यपूर्ण व्यवस्था करने के लिए है, (अनुच्छेद – 371 च)।
– अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल का विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व है, (अनुच्छेद– 371 ज)।
– उपरोक्त विशेष उत्तरदायित्वों के संबंध में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने या उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

कुछ मुद्दों पर स्वविवेक का प्रयोग

1. मुख्यमंत्री चुनना एवं मुख्यमंत्री को हटाना।
2. सरकार को विधानसभा में अपनी संख्या का बहुमत साबित करने के लिए कहना।
3. विधान सभा का विघटन करनां
4. राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, (अनुच्छेद– 356)।
5. राष्ट्रपति के विचारों के लिए विधेयक, आरक्षित करना, (अनुच्छेद– 200)।
6. पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना, (अनुच्छेद– 200)।

F- धन विधेयक क्या है ? इसके बारे में लिखिए।

धन विधेयक अनुच्छेद 110

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है यदि वह निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित है–

– किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन,

– भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना,

– भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धन जमा करना या निकालना,

– किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर धारित घोषित करना या

– भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना।

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। जब कोई धन विधेयक, राज्यसभा या राष्ट्रपति को भोजा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित

F. Write short note on money bill

Only those financial bills which contain provisions exclusively on matters listed in article 110 of the constitution are called Money Bills

Procedure for Passing of the Money Bills

The money bills have special features which are as follows:

1. A money bill can be introduced / originated only in Lok Sabha {or in legislative assembly in case of bicameral legislature in states}.

2. A money bill can be introduced only on prior recommendations of the President {or governor in case of state}

3. A money bill can be a government bill only. No private bill can be a money bill.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

यह प्रामणित करता है कि वह धन विधेयक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता तथा उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है।

धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया – संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को ही संपूर्ण शक्ति प्राप्त है तथा इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ध न विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात धन विधेयक राज्य सभा को भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को लौटा देगी। यदि वह ऐसा नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और ऐसा करने पर विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा।

4. Once a money bill is passed in Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha for its consideration. But Rajya Sabha has limited powers in this context. It can neither reject nor amend the money bill. It can make only recommendations.

5. The Lok Sabha may or may not accept the recommendations of Rajya Sabha. Whether or not accepted those recommendations, thus returned bill is considered passed in both houses.

6. President can withhold assent to money bill but cannot return it for reconsideration of the Lok Sabha.

G- जनहित याचिका क्या है ?

जनहित याचिका या लोकहित वाद (Public Interest Litigation)

जनहित याचिका और न्यायचिक सक्रियता ने मिलकर न्यायपालिक के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है तथा उसे पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। जनहित याचिका का विकास 1979 में हुआ तथा इसके विकास में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर व न्यायाधीश पी.एन. भगवती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इस अवधारण में बदलाव तब हुआ जब 1979 में न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमें की सुनवाई का निर्णय लिया जिसे पीड़ित व्यक्ति से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया था। चूंकि इस पर जनहित में विचार किया जा रहा था, अतः इसे जनहित याचिका का नाम दिया गया।

इस संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के दरवाजे केवल धनी और समृद्ध लोगों के लिए ही खुले नहीं है, बल्कि भारत के सभी लोगों का न्याय पर समान अधिकार है। लोकहित से प्रेरित कोई व्यक्ति या संस्था लोकहितों को प्रवर्तित कराने के लिए वाद ला सकते हैं

G. What is Public Interest Litigation?

PIL is a tool of delivery of Justice and has evolved by US Supreme Court where it is called social action litigation.

PIL as a system of justice seeks to protect interest of public at large. It aims to provide speedy and inexpensive justice to the comman man. It is based on legal maxim probno publico which means for the comman good.

PIL is used to safeguard group interest and not individual interest the power to issue PIL is derived from power of writ jurisdiction. As system of PIL has entirely been made and governed by judiciary it is therefore a judge made law and neither executive nor legislature measures regulate the PIL.

The mechanism of PIL has served the following purposes :

- It has succeeded in bringing greater awareness among the public about their rights
- It has widenend the scope of fundamental rights.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

और इस पर विचार किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर यदि प्रभावित पक्षकार न्यायालय में प्रार्थनापत्र. देने की स्थिति में नहीं है, तो वह या कोई अन्य संस्था पत्र द्वारा भी ऐसा कर सकती है। न्यायालय ने अखबारों में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को भी जनहित याचिका का आधार बनाया और इस तरह न्याय की यह नई भूमिका न्याचिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। इसके बाद ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गयी जिसमें न्यायालय ने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने, मानव अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर हस्तक्षेप किया।

जनहित याचिका ने पिछले दशकों में हमारे लोकतंत्रात्मक अधिकारों को सबल बनाने तथा कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में पीपुल्स नियन फॉर डेमोक्रिटिक राइट्स (Peoples Union for Demo-cratic Rights) नामक संस्था तथा पर्यावरणविद महेश चन्द्र मेहत्ता का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने विभिन्न वादों में जनहित में न्यायालय से उपचार प्राप्त किया है।

जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या का नकारात्मक पहलू भी है। पहले से ही काम के बोझ के तले दबे न्यायालयों में याचिकाओं की बाढ़ सी आ गयी जिससे सामान्य कार्यों में विलंब और बढ़ा। दूसरी ओर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच कार्यों का अंतर धुंधला हुआ तथा कई बार इनके बीच टकराव की सी स्थिति भी पैदा हुई। जनहित वाद की अवधारण का कुछ लोगों ने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए दुरूपयोग भी किया। इस स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने गलत सूचनाओं और गलत आधारों पर जनहित याचिका दाखिल करने पर अर्थदंड की भी व्यवस्था की।

- It has forced executive and legislature to diacharge thier constitutional and legal obligation.

H. **राष्टपति की (वीटो) की शक्ति (अनुच्छेद– 111)**

संविधान में उल्लिखित है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा या नहीं देगा अथवा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा।

– संविधान में 'वीटो' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका प्रयोग व्यावाहारिक रूप में होता है।

– वीटो के प्रकार –

1. निरपेक्ष वीटो : जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति न दें।

H. Discuss the veto powers of president of india.

The President of India is vested with three types of veto power.

- Absolute veto
- Suspensive veto
- Pocket veto

Absolute Veto – This refers to the power of the President to withhold his approval to any bill passed by the Parliament. Once the bill is withheld, it ends and does not become an act. This veto is used in two cases.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

2. निलंबनकारी वीटो : जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे।

3. पॉकेट वीटो : जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही न करें।

– भारत में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है।

– निरपेक्ष वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 'पेप्सू' (Patiala and East Punjab States Union (PEPSU) 1954) विधेयक पर किया था।

– पॉकेट वीटो वर्ष– 1987 में ज्ञानी जैल सिहं द्वारा 'डाक विधेयक' पर प्रयोग किया गया। यह किसी राष्ट्रपति द्वारा पहली बार 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग किया गया था।

– निलंबनकारी वीटो के प्रयोग के उदाहरण–

1. वर्ष– 2006 में सांसदों के लाभ के पद संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति कलाम द्वारा पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज दिया गया था। इसी विधेयक को दोबारा भेजे जाने पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था।

2. राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा संघ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा को संघ सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था।

1. In respect to private members' bills (bills which are introduced by any member of the Parliament who is not a Minister); and

2. In respect to the government bills when the cabinet resigns after the passage of the bills but before the assent by the President and the new cabinet advises the President not to give his assent to those bills.

Suspensive Veto – This is a power of the President when the President returns a bill for reconsideration of the Parliament. However, if the bill is passed again by the Parliament with or without amendments and again presented to the President, the President has to give his assent this time. The President cannot exercise Suspensive Veto in the case of money bills. In this case the President can either approve the bill or withhold his approval, but cannot return it for reconsideration of the Parliament. Usually, the President gives his assent to a money bill as it requires a prior approval from the president before it is introduced in the parliament.

Pocket Veto – This is the power where the President neither ratifies nor rejects nor returns the bill, but simply keeps the bill pending for an indefinite period. The President takes no action either positive or negative on the bill. This is possible because the Indian Constitution does not provide any time-limit within which the President has to take action on a bill presented to him for his assent.

The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 provided that the President has to give his assent to a constitutional amendment bill.

I - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया को समझाइए।

न्यायाधीश को उसके पद से (क) कदाचार या (ख) असमर्थता के आधार पर संविधान में विहित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है (अनु. 124(4))। संसद ने संविधान के उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया है। महाभियोग की प्रक्रिया की रूपरेखा इस प्रकार है–

1. इसके लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन देकर यह प्रार्थना करती होगी कि न्यायाधीश को हटाया जाए। यदि प्रस्ताव लोक सभा में लाया जाना है तो उस पर लोक सभा के कम से कम 100 सदस्यों के और यदि

I. Discuss the impeachment process of judges of supreme court.

Judges Enquiry Act (1968); regulates the procedure related to the removal of the judge of the Supreme Court by the process of impeachment.

1. A removal motion signed by 100 members (If the removal motion is initiated in the Lok Sabha) or 50 members (if the motion is initiated in the Rajya Sabha) is to be given to Speaker/Chairman.

2. Speaker/Chairman may admit the motion or may refuse to admit the same.

3. If it is admitted then the Speaker/Chairman constitutes a three member committee to investigate the allegations charged against the judge.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

राज्य सभा में लाया जाना है तो राज्य सभा के कम से कम 50 सदस्या के हस्ताक्षर होने चाहिए।

2. सभापति या अध्यक्ष (यथास्थिति) ऐसे व्यक्तियों से परामर्श ले सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसी सामग्री पर विचार कर सकता है जो उपलब्ध हो और प्रस्ताव को ग्रहण कर सकेगा या ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा।

3. यदि प्रस्ताव ग्रहण कर लिया जाता है तो 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाएगी जिसमें से–

– एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीशों में से होगा।

– एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों में से होगा।

– एक व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता होगा।

4. यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है तो न्यायाधीश के हटाए जाने का प्रस्ताव और साथ ही समिति के प्रतिवेदन पर उस सदन में विचार किया जाएगा जिसमें वह लंबित है।

5. प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार पारित समावेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश करता है।

4. Three member committee comprises of

(1). The Chief Justice or senior most judge of Supreme Court

(2). Chief justice of the High Court and

(3). A prominent jurist

5. If the committee finds the judge guilty of misbehaviour or incapacity, committee submits its report to the house and matter taken up for discussion in the house where it had been originally introduced.

6. Irrespective of which house introduced the motion, it should be passed by both the houses of the Parliament with special majority (a majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting

7. The passed motion is addressed to the President for the removal of the judge.

8. Finally the President passes an order removing the judge and the judge is removed from the date of assent of the President.

J. गैर सरकारी संगठन क्या होते है संक्षेप में लिखिए।

गैर सरकारी संगठन

एनजीओ का अर्थ होता है– गैर सरकारी संगठन। एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख–दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता है।

वे गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात् वे लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।

J. Write a short note on NGO.

A non-governmental organization (NGO) is a non-profit, citizen-based group that functions independently of government. NGOs, sometimes called civil societies, are organized on community, national and international levels to serve specific social or political purposes, and are cooperative, rather than commercial, in nature.

NGO can be registered or can not be registered. NGO is recognised in its registered form and can get all kind of support including financial support when it is registered at Government

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY
INDORE

गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के लिये एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है या पूर्व अनुमति लेनी होती है।

भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। ये निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर–राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं परामर्श और रणनीतिक सहयोग, जहाँ सरकार द्वारा गठित कमिटियों, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल में गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है।

जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं।

भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।

इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

रिपोर्ट में उन्हें सरकार के विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि वे जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2–3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।

आईबी के रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा धर्मांतरण, विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने के काम में जा रहा है। उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि विदेशी शक्तियाँ उनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के

registering authorities. NGO can be run, managed and operated by the members and other persons who are associated with it and work for social and ethical objects.

NGO is managed by the resources, funds and other kind of desirable support of Government, funding agencies, support agencies, support communities, with support and help of business groups and people. NGO can get help to run in a variety of sources, including the fees of members, private donations, grants, sales of goods and services. NGO as a charitable and religious associations manages private funds for development, distribution of food, clothes, medicines, equipments, facilities and tools to needy persons and communities. NGO as nonprofit making organisation in nature does not work for trade or business purpose but profits by sales of goods and services may be used for the aims and objectives. NGO is non profit making organisation, works for no profit and no gain so it is also known and identified as Non Profit Organisation(NPO).

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

विकास पथ को अस्थिर करने के लिये करती हैं, जैसे– परमाणु ऊर्जा संयंत्रें और खनन कार्य के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन।

आलोचना

गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी धन में से मात्र 13प्रतिशत का उपयोग धार्मिक गतिविधियों जैसी संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर हुआ।

विदेशी निधियों का प्रमुखउपयोग ग्रामीण विकास, गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रोंमें हुआ।

एफआईआई और एफडीआई जैसे विदेशी धन आगमन की तुलना में गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाला विदेशी धन अत्यल्प है।

आगे की दिशा

गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।

अगर किसी के पास एक असहमत दृष्टिकोण है तो इसका आशय यह नहीं है कि वह देश का शत्रु है।

सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो।

एनजीओ के प्रति वर्तमान दमन का दृष्टिकोण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डालेगा।

KAUTILYA ACADEMY INDORE

www.kautilyaacademy.com

www.facebook.com/KTSZone

K - प्रिंट मीडिया की समस्याएं लिखिए।

1. मीडिया का निगमीकरण

अगर एक भी बड़ी चिंता है, जिसका सामना भारत में मीडिया आज कर रहा है, तो वह है जिस तरह से इसे कॉरपोरेटाइज किया गया है। देश के सभी बड़े अखबारों के व्यवस्थित अध्ययन से आसानी से पता चल जाएगा कि वे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक हैं। निगम (वे राष्ट्रीय या बहु–नागरिक हों), हम सभी जागरूक हैं, उनका अपना एजेंडा है। वे उस विशेष निगम की विचारधारा से निर्धारित होते हैं, लाभ कमाने के द्वारा और अधिकांश उदाहरणों में।

2. मीडिया का व्यवसायीकरण

K. Discuss the problems of print media?

Print media suffers from following problems.

1. the corporatisation of the media

If there is one single major concern which the media in India faces today, it is the way it has been corporatised. A systematic study of all the big newspapers in the country will easily reveal that they belong to one or the other of the big corporate houses. They are determined by the ideology of that particular corporation, by profit-making.

2. the commercialisation of the media

In several newspapers five and even seven pages are devoted to full-page advertisements. The advertisements are varied: of major sales and

कई अखबारों में पांच और यहां तक घ्कि सात पेज पूरे पेज के विज्ञापनों के लिए समर्पित हैं। विज्ञापन विविध हैंरू प्रमुख बिक्री और छूटय ब्रांड के नए उत्पादों की घोषणा और निश्चित रूप से, राजनीतिक दलों (मुख्य रूप से भाजपा) का प्रचार। इन विज्ञापनों में निश्चित रूप से बहुत अधिक राशि खर्च होती हैय जब कोई इस तरह के कैसेट व्यावसायीकरण को महत्व देता है, तो अखबार अपना दिल और आत्मा खो देता है।

3. मीडिया का सांप्रदायिकरण

भारत में, हम इसे पहले कभी नहीं देख रहे हैं। हमें इसे साकार करने के लिए लगभग किसी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यकों पर बहुत सूक्ष्म और प्रत्यक्ष हमले होते हैं। सावध ाानीपूर्वक प्रचारित किया जाना बहुसंख्यक समुदाय की भलाई है। मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिकता देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच फूट को कम करने में सक्षम है।

discounts; the announcements of brand new products and of course, the propaganda of political parties (mainly the BJP). These advertisements certainly cost a pretty sum; when one gives importance to such crass commercialisation, then the newspaper loses its very heart and soul.

3. The communalisation of the media

In India, we are seeing this as never before. There are very subtle and direct attacks on minorities. What is meticulously propagated is the well-being of the majority community. Communalisation through the media is able to orchestrate the divide between the majority and minority communities of the country.

L- नक्सलवाद के कारण क्या है ? लिखिए।

नक्सलवाद भारत की आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था,आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती हुई समस्या है। मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित इस आन्दोलन का उदय पश्चिम बंगाल के शिलिगुरी जिले के नक्सलवारी छेत्र में १६६७ में हुआ।

नक्सलवारी छेत्र में उदित होने के कारण इसे नक्सलवाद के नाम से पुकारा गया। इस आन्दोलन का आरंभिक नेतृत्व मार्क्सवादी कमुनिस्ट पार्टी के सदस्य कानू सान्याल, चारु मजुमदार तथा जंगल संथाल ने किया। इनके नेतृत्व में ही नक्सलवारी गाँव के किसानों ने गाँव के भूस्वामियों के विरुध संघर्ष अभियान चलाया। आरंभिक में इनका उद्देशय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता स्थापित करना था।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के १६६६ में संपन्न हुए ६वे अधिवेशन में नक्सलवारी विचारधारा को सैधांतिक समर्थन प्राप्त हुआ। तत्कालीन समय में नक्सलवाद के उदय का मुख्य कारण सीधे तौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक शोषण से जूरा है। ये वाही कारण है जिनको नक्सलवाद से प्रभावित कारकों के रूप में लिया था।

L. Mention the causes of Naxalism in India .

The main causes od naxalism in india are :

- Problem of poverty and economic inequality and underdevelopment in the naxal affected regions.
- Skewed distribution of land and economic growth.
- Encroachment of forest lands by and wealth controlled by contractor-politician nexus.
- Entry of mining companies in Tribal lands and forests, posing threat to the livelihood of the tribals.
- The movement was influenced with the political ideology of Chinese Communist Party and Mao Zedong. They used slogans such as "*China's path is our path; China's Chairman is our Chairman*". However, this ideological inclination to China faded away later. Today, the Naxalite groups are no more having the same perceptions. However, their commitment to Maoism remains as it was earlier.
- The Naxalbari movement began as an armed peasants uprising. The insensitive nature and apathy of the political system towards tribals remained one of the most important factors that led to such uprisings.
- The most important political factor for rise of Naxalism is the inability of the legitimate political

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

छेत्रियता, असंतुलित विकास, व्यापक बेरोजगारी एवं मानसिक पीछारापन भी मुख्य कारण हैं। उनका उद्देश्य सर्वहारा शासन तंत्र की स्थापना करना जिसमे मजदूरों, कृषकों तथा अन्य वर्ग का प्रभुत्व हो। नक्सलवाद उग्र विचारधारा की प्रष्ठभूमि पर आधारित है, परन्तु मूल रूप से यह अलगाववाद, आतंकवाद से भिन्न है। इनका दूरगामी लक्ष्य देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल– चूल परिवर्तन लाना है। इसी व्यवस्था की प्राप्ति के लिए ये संगर्ष कर रहें हैं। इन विचारधारा के लोगों का मानना है कि वर्तमान कि राजसत्ता भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों, पूंजीपतियों, दलालों, भू स्वामियों के हाथों में हैय जो मिलकर एक विशाल जनसमूह वाले कृषक, मजदूरों पर राज्य कर रहे हैं। अपने मूलरूप से ये आन्दोलन भूमिसुधार आन्दोलन से जुरा है, क्योंकि देश कि बहुसंख्यक जनता के जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है।

उग्रवाद को बढ़ावा देने में ग्रामीर बेरोजगारी की भी बहुत महत्वपूर भूमिका है, क्योंकि इन्हे अराजकतावादी तत्त्व आसानी से बरगलाकर गुमराह कर, सरकार एवं सम्रध लोगों के विरूद्व हिंसा करने को प्रेरित कर सकते हैं। आरंभिक चरण में नाक्साली आन्दोलन का उद्देश्य गरीब कृषकों की समस्याओं को दूर करना था। जिसमे स्थानीय स्तर पर भूस्वामियों का संगठित विरोध करना था। लेकिन धीरे–धीरे वे चीनी नेताओं के दर्शन से प्रभावित हुए तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो गए। इन्होने ने समाज के गरीब, भूमिहीन कृषकों, मजदूरों तथा जनजाति लोगों के बीच अपने आधार का निर्माण किया। जनजातीय छेत्रों में जनजाति लोगों पर सरकारी कर्मचारी, भूस्वामी, ठेकेदारों आदि सभी के अत्याचार सरकारी नीतियों के कारण आराच्छित वन च्चेत्रों से उन्हें कई बार विस्थापित होना पड़ा। इससे इन असंतुस्थ लोगों के बीच उन्हें अपने संगठनो को मजबूत करने का अवसर मिल गया। जिसका प्रमार्ण नक्सल प्रभावित राज्यों के जंगली छेत्रों में नाक्साली आन्दोलन का प्रभाव अधिक है।

आज नाक्साल्वादी संगठन हिंसक क्रियाकलापों में पुर्णतः लिप्त हैं। इन नाक्साली गुटों ने देश के कई राज्यों को मिलकर एक ष्रेड कॉरिडोरष का निर्माण कियाय इस छेत्र में इनका प्रभाव भी अधिक है। यह कहा जा सकता है कि इनका उद्देश्य तो आदर्श है किंतु इसके सञ्चालन के साधन अत्यन्त ही अनुचित एवं निराशाजनक स्थिति का परिचायक है।

authority in India to provide avenues for structural uplift to the deprived sections of society in the affected states. There are some areas where there is absolutely no civil administration or police.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

300 शब्द 15 अंक

A- लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या अंतर है ? विस्तार को लिखिए।

राज्यसभा एवं लोकसभा : एक तुलना

राज्यसभा

– राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में 245 सदस्य है।

– राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

– राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

– राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक–तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित भी हो जाते हैं।

– राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपतिक प्रतिनिधितत्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

– धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते ।

– मन्त्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।

– राज्यसभा द्वारा राज्यसूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम–से–कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जा सकता है।

– राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सजन करने का अधिकार प्राप्त है।

– उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरंभ राज्यसभा में ही किया जाता है।

– लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है।

– राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।

लोकसभा

– लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, परन्तु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है।

A. Compare Loksabha ans Rajyasabha in details.

IN THE INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEM, THERE ARE TWO CHAMBERS OF PARLIAMENT: - LOK SABHA,

WHICH IS KNOWN AS THE 'HOUSE OF THE COMMON PEOPLE' OR

THE LOWER HOUSE OF PARLIAMENT AND THE RAJYA SABHA

, WHICH IS KNOWN AS 'COUNCIL OF STATES' OR

UPPER HOUSE OF PARLIAMENT. LOK SABHA IS THE REAL EXECUTIVE

, WHICH GOVERNS THE COUNTRY UNDER THE LEADERSHIP

OF THE PRIME MINISTER.

Differences in Lok Sabha and Rajya Sabha : -

Lok Sabha

- Its members are elected by the general public under the process of adult voting.
- The term of the Lok Sabha is of 5 years.
- Its maximum membership is 552.
- Money bill can only be introduced in the Lok Sabha. This house allocates funds to govern the country.
- The Central Council of Ministers is collectively responsible for the Lok Sabha.
- Lok Sabha Speaker chairs the meetings of the Lok Sabha.
- This is called the lower house or the general public's house.
- If any bill passed by the cabinet minister is not passed in this House, then the entire cabinet has to resign.
- The President of India can nominate 2 members of the Anglo-Indian community in this House.
- Minimum age limit is 25 years for becoming a member of Lok Sabha.

Rajya Sabha

- Its members are elected by the elected members of the State Legislative Assembly.
- This is a permanent house whose one-third members retire every two years.
- Its maximum membership is 250.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– यह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

– राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल–भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

– लोकसभा स्थायी सदन नहीं है तथा इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है।

– लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मातिधकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

– धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

– मन्त्रिपरिषद् केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

– लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

– लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

– लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पातिर प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।

– लोकसभा को इस प्रकार के विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है।

– लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं तथा इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है।

B. चुनाव आयोग की शक्तियां व कार्य लिखिए।

– निर्वाचन क्षेत्रों का परिसमन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या के हिसाब से पुनः सीमांकन किया जाएगा। परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष, दो उच्चतम या उच्च न्यायालयें के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा प्रत्येक राज्य से दो से सात तक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है जबकि उस राज्य के संसद सदस्या या राज्य विधायिका के सदस्य आयेग के सदस्य हो सकते हैं। परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

– प्रत्येक लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव से पूर्व निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करनाः निर्वाचक नामावली तैयार करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। कोई भी व्यक्ति मत देने का अधिकारी तभी होता है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

- In connection with the money bill, the Rajya Sabha does not get much power.

- The Central Council of Ministers is not collectively responsible for the Rajya Sabha.

- The Vice-President is presided over by the Rajya - Sabha meetings.

- This is called upper house or 'council of states'.

- If no bill presented by the cabinet minister is passed in this House, then the entire cabinet has to not resign.

- The President nominate 12 members related to arts education, social service etc.

- To become member of Rajya Sabha, the minimum age limit is 30 years.

B. Write down the functions and powers of election Commission of India.

According to Article 324 of Indian Constitution, the Election Commission of India has superintendence, direction, and control of the entire process for conduct of elections to Parliament and Legislature (state legislative assembly & state legislative council) of every State and to the offices of President and Vice-President of India.

The President has the power to select Chief Election Commissioner and Election Commissioners. They have tenure of six years, or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They have the same status and receive pay and perks as available to Judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office only through accusation by Parliament. Election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना :– निर्वाचन आयेग समय–समय पर विधि द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करता है।
- राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना :– निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा भी आयोग द्वारा किया जाता है। पर इस मामले पर आयोग के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद) के चुनावों तथा मध्यावधि चुनाव और उपचुनावों का अधीक्ष नियंत्रण एवं निदेशन करना।
- निर्वाचन की व्यवस्था करना : इसके अंतर्गत चुनाव कार्यक्रम संबंधी अधिसूचना जारी करना, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना तथा चुनाव के सफल संचालन के लिए सामान्य नियम बनाना शामिल है।
- चुनाव आचार संहिता तैयार करना तथा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- संसद सदस्यों ओर राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में (अनु. 103 तथा अनु. 192) क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देना।
- आवश्कता पड़ने पर चुनाव को रद्द करना तथा उपचुनाव करवाना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को रेडियों तथा टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित करना।
- चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

C - विश्व व्यापार संगठन क्या है ? इसके उद्देश्य व कार्य लिखिए।

1947 में GATT की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना हुई 15 अप्रैल, 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरूग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किये थे,।

Functions and Powers

Key functions of the Election Commission of India are as under:

1. The Election Commission of India is considered the guardian of free and reasonable elections.

2. It issues the Model Code of Conducting every election for political parties and candidates so that the decorum of democracy is maintained.

3. It regulates political parties and registers them for being eligible to contest elections.

4. It publishes the allowed limits of campaign expenditure per candidate to all the political parties, and also monitors the same.

5. The political parties must submit their annual reports to the ECI for getting tax benefit on contributions.

6. It guarantees that all the political parties regularly submit their audited financial reports.

Other powers handled by the Election Commission of India are as follows:

1. The Commission can repress the results of opinion polls if it deems such an action fit for the cause of democracy.

2. The Commission can recommend for disqualification of members after the elections if it thinks they have violated certain guidelines.

3. In case, a candidate is found guilty of dishonest practices during the elections, the Supreme Court and High Courts consult the Commission.

4. The Commission can postpone candidates who fail to submit their election expense accounts timely.

C. What is world trade organization? What are its objectives and functions?

World Trade Organisation (WTO) is a permanent international organisation dealing with global rules of trade between nations. It came into existence in 1995. It is the successor of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) established aftermath of Second World War. The last round 1986-94 Uruguay round

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

भारत GATT और WHO दोनों का संस्थापक सदस्य है WTO नियम आधारित, पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के जो ताकतवर व्यापार भागीदार के दबाव से सदस्य देशों की रक्षा करती है, WTO नयम अन्य WTO सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यसवहार और अत्यधिक तरजीह वाले देश (MFN) के रूप में भेदभावरहित व्यवस्था प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करता है कि एक बार हमारे उत्पाद अन्य WTO सदस्य के यहाँ आयात हो गए तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, MFN व्यवहार सिद्धांत सुनिश्चत करता है कि सदस्य देश अपनी कर व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि अन्य नियमों, विनियमों, प्रोत्साहनों आदि के मामले में भी WTO सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे, यदि कोई सदस्य देश महसूस करताहै कि अन्य व्यापार भागीदार की व्यापारिक नीतियों के कारण उसको निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है , तो वह WTO के विवाद निपटारा तंत्र (DSM) के तहत् मामला दायर कर सकता है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो समितियाँ है, (1) विवाद निवारण समिति तथा (2) व्यापार नीति समीक्षा समिति विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरूद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, जो निम्नलिखित है–

- जीवन स्तर में वृद्धि करना
- पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में बृहतस्तरीय, परन्तु ठोस वृद्धि करना एवं
- वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना

सभी गैट के भी उद्देश्य थे, इनके अति रिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में अग्र–लिखित अतिरिक्त उद्देश्यो की भी चर्चा की गई है–

- सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना।
- विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना (गैट के विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी)
- अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना
- पर्यावरण का सरंक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यो का उल्लेख अग्रलिखित प्रकार से किया जा सकता है।

led to creation of WTO. At the heart of WTO is multilateral trading system. It consists of WTO agreements negotiated and signed by majority world's trading nations and their parliaments. One of important functions of WTO is smooth trade flow between nations.

Objective of WTO

The objective of WTO is to ensure that trade flows as smoothly, predictably andsmoothly as possible. Some of the other objectives of WTO are:

- To lower trade barriers between nations and its people
- The purpose is to help producers of goods and services, exporters, importers conduct their business

Functions of WTO

- Administering trade agreements
- Acts as forum for trade negotiations
- Settling trade disputes
- Reviewing national trade policies
- Assisting developing countries in trade policy issues, through technical assistance and training programmes
- Cooperating with other international organisations

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
INDORE

– विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौता के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना।
– व्यापार एवं प्रशूल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
– विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
– व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
– वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना।
– विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना

D. 73 वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों के बारे में लिखिए।

– पंचायती राज, एक दर्शन और विचारधारा है। यह केवल शासन, स्वाशासन तक सीमित विचार नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पर्याय है।
– यह गांधी जी और विनोवा भावे के सर्वोदयी शासन का पर्याय है।
– भारत में पंचायती राज के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति (1957 में) 1978 में 'अशोक मेहता समिति' एवं राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष एल. एम. सिंघवी थे।

पी. के. थुंगन समिति (1988)

– थुंगन समिति ने भी पंचायती राज की संवैधानिक आधार पर देने का समर्थन किया।
– राजीव गांधी सरकार ने वर्ष – 1989 में लोक सभा में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो भारी बहुमत से पारित हो गया, परन्तु राज्य सभा में पारित नहीं हुआ।
– पी. बी नरसिंम्हा राव सरकार ने इसे 73 वें संविधान संसोधन पर प्रस्तुत किया। के रूप में प्रस्तुत किया और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। इसके तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243– क से लेकन 243–ण तक एवं 11 वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े गये। इसके प्रावधान निम्न है।
– पंचायती राज, राज्य सूची का विषय है।

D. Discuss the important provisions of 73rd constitutional ammendment act.

The Amendment Act has added part IX to the Constitution of India entitled as 'Panchayats'. The part consists of provisions from Article 243 to 243-0. A new schedule called as Eleventh Schedule lists 29 functional items that panchayats are supposed to deal with under Article 243-G. The basic provisions of the Act are divisible into compulsory provisions and voluntary arrangements.

The provisions which the state statutes will have to provide for are:

(1) Creation of a State Elections Commission to conduct elections to PRIs,

(2) In order to review the financial position of the PRIs, each state to set up a State Finance Commission for five years.

(3) Tenure of PRIs fixed at five years and, if dissolved earlier, fresh elections to be held within six months,

(4) Creation of a three-tier Panchayati Raj structure at the zila, block and village levels,

(5) The minimum age for contesting elections to PRIs to be 18 years,

(6) Reservation for women in panchayats (chairman and members) up to one-third seats,

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

- तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना। (ग्राम स्तर, ,खंड स्तर एवं जिला स्तर)
- परन्तु 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहां दो स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। उदाहरण– गोवा, मणिपुर में ग्राम स्तर तथा जिला स्तर के पंचायती राज की स्थापना की गई है।

पंचायतों का निर्वाचन

राज्य निर्वाचन आयोग

- पंचायतों के चुंनाव के लिए राज्य चुनाव आगोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना है।
- पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा।
- पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होगा।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जाएगा।
- तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है।
- निर्वाचिन होने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- खंड पंचायत एवं जिला परिषद् के अध्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। खंड पंचायत के सदस्य खंड परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं।
- ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है।

पंचायतों में आरक्षण

- पंचायतों के चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, (अनुच्छेद– 243 (D))।
- यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना, राज्य विधान सभा की मर्जी पर है।
- अध्यक्ष पर हेतु महिलाओं व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी राज्य विधान सभा की मर्जी पर है।
- 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।
- हाल ही में कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इन राज्यों में मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार राज्य है।
- अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा।

(7) Reservation of seats for SC/ST in panchayats (chairman and members) in proportion to their population,

(8) Indirect elections to the post of chairman at the intermediate and apex tiers,

(9) All posts at all levels (with two exceptions) to be filled by direct elections, and

(10) Organisation of gram sabhas.

As local self-government is an item in the State List, the state governments have been given a reasonable discretion to take decisions in the following areas.

These voluntary provisions vary from state to state:

(1) Voting rights to MPs and MLAs in these bodies,

(2) Reservation for backward classes,

(3) Financial powers,

(4) Autonomy of the panchayats, and

(5) Devolution of powers to perform functions of the Eleventh Schedule and planning.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

– पंचायतों में आरक्षण, अध्यक्ष पद एवं सदस्य दोनों के लिए होता है तथा पंचायत के तीनों स्तरों पर आरक्षण दिया जाएगा।

पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं

– इसमें निर्वाचिन होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है।
– व्यक्ति, राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए।

Note :- पंचायतों की सबसे छोटी ईकाई ग्राम सभा होती है।

– ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग शामिल होते हैं।

पंचायतों का कार्यकाल

– पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।
– यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय के पहले हो, तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए तथा चुनाव होने चाहिए तथा बचे हुए समय के लिए होगां
– यदि पंचायतों को कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो, तो चुनाव समूचे 5 वर्षों के लिए होंगे।

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY
INDORE

Part - B (3 MARKS)

A. राज्य वित्त आयोग

(243(i) और 243(y))

राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन करेगा जो पंचायत/नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। यह राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच कर आदि के बटवारे का सुझाव देगा।

B. प्रॉक्सी मतदान –

2003 से प्रारंभ इसके तहत पंजीकृत मतदाता अपने वोट डालने का अधिकार अपने प्रतिनिधि को दे सकता है। यह सेना अर्द्धसैनिक बल आदि को प्राप्त है।

C. परिसीमन आयोग–

परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। यह 1952, 1963,1973, 2002 में गठित हुआ। इनके द्वारा तय किये गये क्षेत्रों को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

D. एकल सक्रंमणीय मत–

इसका जन्मदाता ब्रिटिश हैमर को माना जाता है। डेनमार्क के मंत्री एंड्रे ने इसे लागू किया इसलिये इसे एंड्रे पद्धति भी कहते है।

इसके तहत मतदान किसी एक प्रत्याशी का चुनाव न कर सभी को वरीयता। प्राथमिकता के आधार सभी को चुनता है।

इसका प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा विधान परिषद में चुनाव में होता है।

1. State Finance Commission

State Finance Commission is the Constitutional body of experts appointed by each state government at regular intervals of five years under the article 243 I of the Constitution.

Its function is to review and revise the financial position of Panchayat raj institutions and urban local governments.

5th Madhya Pradesh Finance Commission has been constituted (2020-2025) .Himmat Kothari has been nominated as Chairman of the commission.

2. Proxy Voting

Proxy voting is a form of voting whereby a voter may delegate his or her voting power to a representative, to enable a vote in absence.

3. Delimitation Commission

The Delimitation commission or Boundary Commission is a commission established by the Government of India under the provisions of the Delimitation Commission Act.

The main task of the commission is redrawing the boundaries of the various assembly and Lok Sabha constituencies based on a recent census.

The most recent delimitation commission was setup on 12th July 2002 after the 2001 Census with Justice Kuldip Singh , as its chairperson.

4. Singel Transferable Vote

The single transferable vote (STV) is a voting system designed to achieve proportional representation through ranked voting in multi-seat organizations or constituencies

In single transferable voting system voters just don't vote for a single candidate, instead they rank the candidates in order of preference. This is aimed to increase the proportional representation.

Election of President in India is a classic example of election through single transferable vote.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

E. WIPO

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा की सेवा, नीति आदि की संयुक्त राष्ट्र संघ की अभिकरण कुल –192 सदस्य
स्थापित – 1967
मुख्यालय – जिनेवा
महानिदेशक – फ्रांसिस गरी

F. लोकायुक्त–

ओम्बुड्समेन की तर्ज पर राज्यों में भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है। अब तक 23 राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय बने
सर्वप्रथम महाराष्ट्र में,
उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त बनाया जाता है।
म.प्र. – 1981 में गठित
वर्तमान लोकायुक्त – नरेश कुमार गुप्ता

G. यू.पी.एस.सी.

अनुच्छेद 315 में संघ सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया है।
यह एक सलाहकारी संस्था है।
प्रथम अध्यक्ष – रोजबार्कर (1926–32)
आजादी के समय– एच.के.कृपलानी
वर्तमान – अरविंद सक्सेना

H. भारत की संचित निधि–

(अनुच्छेद 266)
भारत सरकार की सभी राजस्व हुंडियां, उधार या अग्रिम से प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि कहलायेगी।
ऐसा राज्य के संदर्भ में भी होगा।

I. प्राक्कलन समिति–

5. WIPO

The World Intellectual Property Organization(WIPO) is one of the 15 specialized agencies of the United Nations.
WIPO was created in 1967 to encourage creative activity, to promote the protection of intellectual property throughout the world.
It is Headquartered in Geneva, Switzerland.

6. Lokayukta

The Lokayukta is an anti-corruption authority constituted at the state level. It investigates allegations of corruption and mal-administration against public servants and is tasked with speedy redressal of public grievances.
The Lokpal and Lokayukta Act, 2013 provided for the establishment of Lokayukta for States.
These institutions are statutory bodies without any constitutional status.
*Present Lokayukta of Madhya Pradesh is Justice N.K Gupta.

7. UPSC

The Union Public Service Commission (UPSC) is the central recruiting agency in India.
It is responsible for appointments to and examinations for All India services and group A & group B of Central services.
Article 315 to 323 in part XIV of the constitution contain elaborate provisions of UPSC.

8. Consolidated Fund of India

A fund to which all revenues received, loans raised & income received by GOI are deposited and all legally authorized payments on behalf of GOI are made out of this fund.

This fund was constituted under Article 266 (1) of the Constitution of India.
No money can be withdrawn from this fund without the Parliament's approval.

9. Estimate Committee

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

वार्षिक बजट के अनुमानों का सुक्ष्म अध्ययन तथा वित्तिय प्रशासन में मितव्ययता, कुशलता व दक्षता हेतु बनाई गई समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते है।

It is a committee of selected members of parliament for the purpose of scrutinising the functioning of government ministries and departments in terms of expenditure and utilisation of funds.
The Estimates Committee has 30 members and all these members are from Lok Sabha.
The chairman is appointed by the Speaker and chairman is always from the ruling party or coalition.

J. स्वयं सहायता समूह–

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10–20 सदस्यों का एक स्वैछिक समूह है जो सामूहिक निर्णय, बचत, परस्पर सहयोग, ऋण उपलब्धता कराना आदि कार्य करते है।

10. Self Help Group -

Self-Help Groups (SHGs) are informal associations of people who choose to come together to find ways to improve their living conditions.
It can be defined as self governed, peer controlled information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose.
The idea of self help group was originated in Bangladesh.

K. सर्जिकल स्ट्राइक –

सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी सैन्य कार्यवाही है, जिसमें बिना युद्ध घोषित किये एक से अधिक सैन्य लक्ष्यों का नुकसान पहुंचाना और उसके पश्चात् हमला करने वाली सैनिक इकाई तुरंत वापस और आती है।
29 सितम्बर 2016 सेना कें एवं 26 फरवरी 2019 का एयर स्ट्रइक की।

11. Surgical Strike

A surgical strike is a military attack which is intended to damage only a legitimate military target, with no or minimal collateral damage to surrounding structures, vehicles, buildings, or the general public infrastructure and utilities.
For example- On September 28, 2016, Indian Army carried out surgical strike against terror launch pads in Pakistan Occupied Kashmir(POK).

L. कोल्ड स्टार्ट का सिद्धांत–

कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हमले से रोकने के लिये विकसित किया गया है। इसमें तेज गति से बख्तरबंद वाहन, तोपखाना, पाकिस्तान के इलाके में प्रवेश करेगा और उन्हें आश्चर्य चकित करेगा और उनके क्षेत्र को कब्जे में लेना।

12. Doctrine of Cold Start

Cold Start is a military doctrine that was developed by the Indian Armed Forces for use in a possible war with Pakistan.

The doctrine is intended to allow India's conventional forces to perform holding attacks to prevent a nuclear retaliation from Pakistan in case of a conflict.

M. 61वां संविधान संशोधन

1989 इसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकार 18 वर्ष कर दी गई।

13. 61st Constitutional Amendment Act

61st Constitutional Amendment Act, 1988 was enacted to reduce the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

It deals with the amendment in Article 326 of the Constitution.

N. उल्फा

'यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम'
1979 में स्थापित शिव सागर जिले के रंगधर में
संस्थापक – परेश बरूआ
पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय सशक्त संघर्ष के जरिये असम को एक स्वतंत्र देश बनाना
1990 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित।

14. ULFA

The United Liberation Front of Assam (ULFA) is a militant outfit operating in the Indian state of Assam. It seeks to establish an independent state of Assam with an armed struggle in the Assam conflict.
The Government of India banned the organisation in 1990.

O. सार्क

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
स्थापना –1985 (ढाका)
मुख्यालय –काठमांडू
प्रारंभ में सदस्य – बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालद्वीव, पाकिस्तान, श्रीलंका
2007 – अफगानिस्तान

15. SAARC

The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia.
Its member states include Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.
SAARC was founded in Dhaka on 8 December 1985. Its secretariat is based in Kathmandu, Nepal.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

100 शब्दों में (6 अंक)

A. लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां–

1. लोकसभा अध्यक्ष सदन का प्रमुख अधिकारी होता हैं। वह सदन की कार्यवाहियों का संचालन संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करता है। सदन को अनुशासित रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं।
2. वह लोकसभा की बैठक स्थगित तथा गणपूर्ति न होने की दशा में उसे निलंबित कर सकता हैं।
3. कोई विधेकय धन विधेयक हैं या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता हैं और उसका निर्णय अंतिम होता हैं, (अनु.110)
4. दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता हैं।
5. लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मत विभाजन में भाग नहीं लेता लेकिन मतों की बराबरी होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार हैं।
6. दल–बदल संबंधी मामले में सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता हैं
7. वह सदन की कार्यवाहियों के संबंध में समय–समय पर राष्ट्रपति को सूचना देता हैं तथा राष्ट्रपति व संसद के बीच सामंजस्य का कार्य करता हैं।
8. वह संवैधानिक व्यवस्था व सदन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर सदन के सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराता हैं। वह सदन के सदस्यों को मर्यादाओं का पालन करने के लिए बाध्य करता हैं।
9. लोकसभा अध्यक्ष संसद की समस्त समितियों पर नियंत्रण रखता हैं तथा उन्हें संगठन व प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश दे सकता हैं।

B. लोक अदालत

देश की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत एक सामान्य व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए काफी लंबी एवं जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता हैं। कभी–कभी न्याय मिलने में इतना विलम्ब हो जाता हैं कि न्याय की सार्थकता ही समाप्त हो जाती हैं। विवादों की शीघ्रतापूर्वक कम व्यय में निपटाने तथा न्यायालयों में दिनों दिन मुकदमों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन.भगवती ने 1985 में पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया था। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति भगवती को जनहित वाद की अवधारणा को पल्लवित

1. Write down the power of speaker of lok sabha .

Ans- The speaker of Lok Sabha derives his powers and duties from three sources,i.e the constitution of India, the Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha and Parliamentary conventions. He has the following powers and duties -

- Primary duty of the speaker is to maintain order and decorum in Lok Sabha.
- Adjournment of the Lok Sabha is done by Speaker.
- Joint sitting of both the houses of parliament are although called by President but presided by Lok Sabha speaker.
- Whether a bill is a money bill or not, is decided by the Speaker and his decision in this matter is final.
- His interpretations of constitutional provisions, rules and regulations related to Lok Sabha are final.
- Speaker decides the question of disqualification of Lok Sabha members in matters of tenth schedule / anti-defection law. This decision is subject to judicial review.

Ï- He works as ex-officio chairman of Indian Parliamentary Group of the Inter-parliamentary Union.

2.Write a short note on Lok Adalat

Ans- Lok adalat are informal courts. They are provided with statutory status under legal service authorisation act 1987. It was amended in 2002.

The act provides Lok adalat organised at Central, state and district level.The Lok Adalat is presided over by a sitting or retired judicial officers as the chairman, with two other members, usually a lawyer and a social worker.

The objective behind the scheme of Lok adalat is to provide speedy and economical justice. It is aimed

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

करने के लिए भी जाना जाात हैं। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के प्रयास से 6 अक्टूबर, 1985 को दिल्ली में पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था। 1987 में संसद द्वारा

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित कर लोक अदालत को विधिक मान्यता दी गयी। अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार आर्थिक रूप से असमर्थता तथा अन्य किसी कारण से विधिक सेवा से वंचित रह जाने वाल कमजोर निर्धन तथा असहाय लोगों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु राज्य लोक अदालतों का गठन कर सकती हैं। ऐसे लोगों को समुचित न्याय दिलाने हेतु उन्हें सरकार द्वारा विधिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा सामान्य तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के अंतर्गत आयोजित की जाती हैं। लोक अदालतों का मुख्य संरक्षक जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश होता हैं। लोक अदालतें कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19के अंतर्गत देश के सभी जिलों में लोक अदालतों की स्थापना के लिए एक स्थायी और निंरतर लोक अदालत स्कीम लागू की गयी है। इसके अंतर्गत देश के प्रायः सभी जिलों में स्थायी और सतत् लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी हैं। इनके द्वारा अब तक 1.76 करोड़ से अधिक विवादों का निपटारा किया जा चुका हैं।

ऐसे आपराधिक मामलों जिनमें सुलह का विधान नहीं हैं को छोड़ कर सभी विवादों का निपटारा लोक अदालतों द्वारा किया जा सकता हैं। इसके प्राधिकार में निम्न. मामलें आते हैं– (1) वैवाहिक/पारिवारिक मामले, (2) ऐसे आपराधिक मामले जो आगे बढ़ सकते हैं, और जिनमें सुलह हो सकती हैं, (3) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, (4) श्रम संबंधी विवाद, (5) कामगारों को मुआवजा, (6) ऋण वसूली मामले, (7) पेंशन संबंधी मामले, (8) आवास बोर्ड और मलिन बस्ती निपटान मामले, (9) उपभोक्ता मामले, (10) विद्युत संबंधी विवाद, (11) टेलीफोन बिल संबंधी विवाद, (12) गृहकर, जलकर संबंधी मामले, (13) परिवहन चालान संबंधी मामले, (14) जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट किए गए मामले।

at avoiding delay and speed of mass disposal of pending cases.

Advantages of Lok adalat -

- No Court fees to be paid
- It follows less formal procedure while hearing the case
- It provides greater opportunity to arrive at a decision on consensual basis.

C. परिसंघ संविधान में साधारणयता निम्नलिखित लक्षण होते हैं–

एक संघीय सरकार सरकार की एक प्रणाली है जो एक

3. Mention the federal features of Indian Constitution-

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

बड़ी केंद्र सरकार और उसके नीचे स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति को विभाजित करती है।

भारतीय संविधान की मुख्य संघीय विशेषताएं इस प्रकार है

दोहरी सरकार – संविधान ने केंद्र और राज्य की परिधि में संघ को मिलाकर दोहरी सरकार की स्थापना की।

लिखित संविधान – भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें 395 लेख और 12 अनुसूचियां हैं, और इसलिए, यह संघीय सरकार की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करता है। वास्तव में, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है।

शक्तियों का विभाजन – संविधान ने केंद्र सूची में राज्य सूची, राज्य सूची और सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के संदर्भ में शक्तियों को विभाजित किया।

संविधान की सर्वोच्चता– संविधान भूमि का सर्वोच्च नियम है।

स्वतंत्र न्यायपालिका – संविधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।

द्विसदनीयवाद – संविधान में द्विसदनीय विधायिका के लिए राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। राज्य सभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।

कठोर संविधान– संविधान इस हद तक कठोर है कि जो प्रावधान संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उनमें केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कार्रवाई से ही संशोधन किया जा सकता है।

Ans- A federal government is a system of government that divides the power between a larger central government, and the local and regional governments beneath it.

The main federal features of the Indian Constitution are as follows:

Dual polity - The constitution established dual polity consisting the Union at the centre and state at the periphery.

Written Constitution - The Indian Constitution is a written document containing 395 Articles and 12 schedules, and therefore, fulfils this basic requirement of a federal government. In fact, the Indian Constitution is the most elaborate Constitution of the world.

Division of powers - The Constitution divided the powers between the Centre and the states in terms of Union list, State list, and Concurrent list in the Seventh Schedule.

Supremacy of the Constitution- The constitution is the supreme law of the land.

Independent Judiciary - the constitution establishes an independent judiciary headed by the Supreme Court to protect the supremacy of the Constitution by exercising the power of judicial review.

Bicameralism - The constitution provides for a bicameral legislature consisting of a Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha represent the states of Indian federation, while the Lok Sabha represents the people of India as a whole.

Rigid Constitution- The constitution is rigid to the extent that the provisions which are concerned with the federal structure can be amended only by the joint action of the central and state governments.

D. **42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहा जाता है ?**

42वां संविधान संसोधन में अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इसकी व्यापकता को दृष्टिगत करते हुए ही इसे मिनी संविधान कहा जाता है। संवैधानिक संशोधन में कुल 59

4. Why is 42nd Constitutional amendment act called as mini constitution ?

Ans- 42nd amendment was the only amendment that attempted to change the Basic structure of the Constitution.

- Preamble has been amended to substitute the word "Sovereign Democratic Republic", which the words "Sovereign Socialist Secular Democratic Republic".

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

प्रावधान थे और यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक एवं विवादस्पद संवैधानिक संशोधन था। मुख्यतः यह संशोधन स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था।

इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए।

इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार, राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत, संघीय कार्यपालिका, संसद, संघीय न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक महालेखा–परीक्षक, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधान मंडल, उच्च न्यायालय, संघ तथा राज्यों के संबंध, लोक सेवा आपात उपबंध, संविधान संशोधन, सातवीं अनुसूची आदि से संबद्ध उपबंधों का संशोधन किया गया।

इस अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि 1978 में सत्ता में आने के ाद तत्कालीन जनता सरकार ने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44 वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया।

42वां संशोधन (1976) की प्रमुख बातेंरूइसके द्वारा संविध ाान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्लिखित थे।

– सभी नीति निर्देशक सिद्धांतो को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई।

दृ इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(क), (भाग–पअ क) के अंतर्गत जोड़ा गया।

– इसके द्वारा संविधान संशोधन को को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया।

– इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या– नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूचि से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया।

– इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

– इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के

- It attempted to reduce the power of the Supreme Court and High Courts to pronounce upon the constitutional validity of laws.
- It laid down the Fundamental Duties of Indian citizens to the nation.
- Directive Principles were given precedence over Fundamental Rights and any law made to this effect by the Parliament was kept beyond the scope of judicial review by the Court.
- It made obligatory for the President to act on the advice of the council of Ministers.
- Tenure of the Lok Sabha and the State Assemblies was increased by one year
- Put all Constitutional amendments beyond judicial scrutiny.

42nd Amendment Act brought about the most widespread changes to the Constitution in its history, and therefore sometimes called as "mini-Constitution".

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की।

E- भारत शासन अधिनियम (1935)–

अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 ई. में प्रारम्भ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण भारत सरकार अधिनियम, 1935 को माना जाता हैं 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर शासन कायम रखने का अंतिम प्रयास था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न. थी–

– प्रांतो में द्वैध शासन की समाप्ति कर उन्हें स्वतंत्र बनाया गया, जबकि केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। समस्त विषय को तीन सूचियों में विभाजित किया गया–
  1. केन्द्रीय सूची
  2. राज्य सूची
  3. समवर्ती सूची

  केन्द्रीय विषयों को दो भागों में बांटा गया–

  1. सुरक्षित विषयों का प्रशासन, गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जैसे–विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक एवं रक्षा मामले आदि।
  2. हस्तान्तरित इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह पर करना था, जो केन्द्रीय व्यस्थापितका के प्रति उत्तरदायी थे।
– सभी ब्रिटिश भारती प्रांतो एवं मुख्य आयुक्त के प्रांतो को मिलाकर एक संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था।
– भारम में एक संघीय बैंक तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
– भारत परिषद् का अंत कर दिया गया, परन्तु ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही।
– बर्मा, बरार एवं अदन को भारत से पृथक् किया गया।

F- 5वीं व 6ठीं अनुसूची में अंतर लिखिए।

– भारतीय संविधान की पांचचीं व छठी अनुसूची तथा भाग–10 में ऐसे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबन्ध हैं, जहाँ राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार हैं कि संसद अथवा उस राज्य की विधायिका का कोई विशिष्ट कानून उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगा अथवा परिवर्तनों के साथ लागू होगा।

5. Mention the features of Indian Constitution borrowed from Government of India Act; 1935 .

Ans-The framers of the Constitution have included a large number of the provisions of the GOI Act, 1935 into the Constitution of India.

The features borrowed from the GOI Act, 1935 are-

Federal Scheme

The Union shall be divided into states for the convenience in the administration.

Office of Governor

There shall be a Governor to each state, who is appointed by the Union Government and the Governor shall be selected but not elected. The Union Government without consulting the respected state government can appoint the Governor.

Judiciary

As mentioned about the establishment of Federal Court in India in 1935 Act, the federal Court is replaced by the Supreme Court established under Article 124, the Constitution of India.

Public Service Commission

As mentioned in the 1935 Act, the Public Service Commissions for the Union and for the States empowered by Article 315.

Emergency Provisions

The Emergency Provisions like National, State and Financial Emergencies defined under Articles 352,356 and 360 are borrowed from 1935 Act.

Administrative lists

Some legislations should be done by Union and State. No one should encroach into other's work. For this there are Union list and State list.

6. Differentiate between 5th and 6th Schedule of Indian Constitution.

Ans- The basic thrust of the Fifth and Sixth Schedule of the constitution is the protection of cultural distinctiveness of Tribal. Both provides protection to the tribals on account of their economic disadvantages so that they could maintain their tribal identity without any coercion or exploitation.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

– संविधान के भाग–10 में अनुच्छेद–244 के अन्तर्गत दो तरह के विशिष्ट क्षेत्रों एवं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हैं–
  1. अनुच्छेद–244(1) अनुसूचित क्षेत्र।
  2. अनुच्छेद–244(2) जनजातीय क्षेत्र।
– 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यें को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को लागू होती हैं, वहीं छठी अनुसूची–
  असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लागू हेाती हैं।

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा:–

– भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं तथा क्षेत्र को कम या ज्यादा, नाम बदलने या रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वे संसद द्वारा पारित विधि के अधीन ही कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों को परिनिश्चित करते हुए समय–समय पर नए आदेश निकाले जा सकते हैं।
– जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं– आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा और राजस्थान।
– राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करें या कुछ परिवर्तन कर लागू करें।
– विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं, को समाप्त या संशोधित किया जा सकता हैं, परन्तु इस तरह की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हैं।

जनजातीय क्षेत्र:–

– संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों एवं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन हैं।
– मूलरूप में इन जनजातीय क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया था– भाग (क), भाग (ख), परन्तु नागालैण्ड राज्य के निर्माण के बाद वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों को चारो भागों में विभाजित किया गया हैं।
  1. असम – बोडालैण्ड, उत्तरी कछार, कर्बी आंगलांग
  2. मेघालय– खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, जनजाती पहाड़ी
  3. त्रिपुरा – त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र।
  4. मिजोरम – चकमा जिला, लाई जिला, मारा जिला।

Difference Between 5th Schedule and 6th Schedule Areas.

While both the areas under 5th schedule and 6th schedule have dominance of the tribal people, constitution calls them with different names viz. Scheduled Area under 5th schedule while Tribal areas under 6th schedule.

Schedule 5th deal with control administration of scheduled areas and scheduled tribes while Schedule 6th deals with control and administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

- इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वशासी जिले के रूप में चलाया जाएगा। अतः इन क्षेत्रों का गठन स्वशासी जिलों के रूप में किया गया है।
- यद्यपि ये क्षेत्र राज्य कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं हैं, परन्तु कुछ विधायी एवं न्यायिक कार्यो हेतु जिलापरिषद् और प्रादेशिक परिषदों के गठन का प्रावधान हैं।
- इन परिषद्ो को भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की तथा कुछ निश्चित कर लगाने की शक्ति प्राप्त है।
- इन परिषद्ों द्वारा बनाई गई विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक उसे राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती।

G- न्यायिक सक्रियता क्या है ?100

भारतीय संविधान में अवरोध एवं सतुलन के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया गया है। यहां शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है ताकि शासन का कोई घटक शक्तियां एकत्र कर निरंकुश न बन सके। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीन स्वतंत्र अभिकरण–कार्यकालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्थापित किए गए है। संविधान में कार्यपालिका पर न्यायिक तथा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया है। विधायिका पर न्यायापालिकीय नियत्रंण स्थापित है तो न्यायपालिका पर विधायिका द्वारा नियत्रंण की व्यवस्था की गई है।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ : न्यायिक सक्रियता की कोई वैधानिक परिभाषा उलब्ध नहीं है। वस्तुतः इस शब्द का सृजन प्रेस द्वारा न्यायालय द्वारा लीक से हटकर लिए गए कुछ निर्णयों के आधार पर किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए. एस. अहमद तथा न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह के अनुसार, न्यायिक सक्रियता एक भ्रामक शब्द है तथा इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर भी न्यायिक सक्रियता को निम्तः निरूपित किया जा सकता है–

यह लोकहित, विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य, अपरम्परागत किन्तु प्रभावी सकारात्मक यंत्र है।

भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई।

- न्यायिक सक्रियता का विकास : भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास अचानक न होकर क्रमिक रहा

7. What is Judicial Activism ?

Ans- Judicial activism means assertive force exerted by Judiciary on executive and legislature so did the discharge the assigned constitutional function. In judicial activism,Judiciary goes out of its traditional function and discharge the function of legislature and executive.

The power to exercise to Judicial activism emanates from Judicial review and Public Interest Litigation is the measure facilitator of judicial activism.Thus , judicial activism helps in strengthening of democracy and reaffirms the faith of people in rule of law.

Judicial activism is a welcome measure only for short term. If it is carried for too long, it will destroy the concept of theory of Separation of Power. Judiciary tends to enjoy more power without adequate accountability.

Thus judicial activism should only be used as a last resort, when all attempts made by the judiciary to enforce executive and legislature to confirm their function have failed because there is no code of conduct for Judges while practicing Judicial Activism and in the absence of such code, judges may perform their own notion of Justice and Judicial activism may degrade into Judicial Adventurism.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार, न्यायपालिका का सक्रिय होना यह दर्शाता है कि कार्यपालिकाअपने प्रशासनिक कार्यों को करने में असफल रही है।

भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका (Public Interest Litigation) रही है। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है, जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। पर 1980 के दशक में इस अवधारणा में बदलाव आया, जब मुख्य न्यायाधीश श्री वाई. वी. चन्द्रचूड़ ने लोकहित वादों को मान्यत दी। कई बार न्यायालय ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार किया तथा जनहित में निर्णय दिये। इस प्रकार न्यायालय की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई।

न्यायिक सक्रियता के दुष्प्रभाव : विधि विशेषज्ञ तथा न्यायविद इसे न्यायालय की तानाशाही की संज्ञा दे रहे हैं। न्यायिक सक्रियता ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर को धुंधला किया है। जनहित याचिका के नाम पर न्यायालय ने कार्यपालिका तथा विधायिकाा के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। अतिवादी न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की प्रतिष्ठा तथा उसकी निष्पक्ष छावि को भी प्रभावित करती है। आज न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में इतना विस्तार हो गया है कि कभी–कभी ऐसा लगने लगता है कि मानों देश का प्रशासन कार्यपालिका नहीं, बल्कि न्यायपालिका चला रही है।

कारण चाहे जो भी हो, इतना अवश्य स्पष्ट है कि न्यायपालिका को प्रशासन करने से बचना चाहिए। न्यायालय की अपनी एक मर्यादा है तथा वह कार्यपालिका या विधायिका का विकल्प नहीं बन सकती। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ है। अगर कार्यपालिका तथा विधायिका अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहती है तो उसे चुनावों के जरियें पदव्युत किया जा सकता है। सरकार के तीनों अंगों के मध्य समन्वय की एक स्वस्थ्य परम्परा का विकास किया जाना आवश्यक है ताकि किसी टकराव को रोका जा सके।

H - निर्णय प्रक्रिया में जनभागीदारी के महत्व को समझाइए।

प्रशासन में जन सहभागिता आधुनिक अवधारणा है जबकि सम्पूर्ण विश्व फासींवाद, नाजीवाद एवं कुछ हद

8. Write down the significance of citizen participation in decision making.

Ans- Citizen's participation in decision making is a process which provides private individuals an opportunity to influence public decisions and to be a component of

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

तक साम्यवाद से मुक्त हो चुका हैं। जनसहभागिता का तात्पर्य हैं 'प्रशासन की दशा व दिशा का निर्धारण जनता की मनः स्थिति के द्वारा हो अर्थात् नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण तथा संसाधन सदुपयोग के क्रम में जनता की सक्रिय भागीदारी ही सामुदायिक सहभागिता हैं।'

अतः विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अपने कर्तव्यों के सम्पादन में जन स्वीकृति प्राप्त करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमें व्यक्ति, परिवार एवं समाज अपने कल्याण हेतु उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। अतः सामुदायिक समस्याओं को पहचानने एवं उनके समाधान करने के लिए सामूहिक रूप से सुसंगठित प्रयास करना जन सहभागिता का मूल मंत्र हैं। सामुदायिक सहभागिता आम व्यक्ति को 'एक लाभार्थी' के रूप में देखने की बजाए 'विकास के सक्रिय अभिकर्ता' के रूप में स्वीकारती हैं जिससे विकास के सर्वांगीण लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

अतः जन सहभागिता प्रशासन का अत्यावश्यक पहलू हैं क्योंकि–

- जन सहभागिता 'राष्ट्रपिता के आदर्शो' का आधार हैं।
- हम राजतंत्र से लोकतंत्र के युग में प्रवेश कर चुके हैं।
- स्थानीय विकास से राष्ट्रीय विकस चाहते हैं।
- जन आकांक्षा को व्यावहारिक स्वरूप देना प्रशासन की जिम्मेदारी हैं।
- सरकार एक प्रशासनिक उपक्रम है जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति प्रशासन के माध्यम से करती हैं।
- जनसाधारण के वर्तमान व भावी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके अन्दर दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करना।
- जनसाधारण को समस्या समाधान के लिए सरकार पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनाने की ओर ठोस प्रयास करना।
- समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान तथा उन्हें विकसित करना।
- समुदाय को आत्मनिर्ीर बनाने के लिए प्रेरित करना।
- समुदाय में उपलब्ध सक्रिय मानव शक्ति को उत्पादक कार्यो की ओर मोड़ना।
- विभिन्न समूहों, संगठनों व माध्यमों से सजनता को विकास प्रक्रिया में जोड़ना।
- समुदाय में स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करना जिससे वह शेष समुदाय को प्रेरित कर सकें।
- समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु नवीन प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ाना।

the democratic decision-making process.People participation depends on the good governance where in how effectively government is providing various ways for them to get involved.

Various initiatives taken by government for effective citizen participation and providing good governance

- MyGov - Innovative platform launched to ensure citizens' engagement in decision making by the Government so that the ultimate goal of "Good Governance" for building India is achieved.
- Interaction with people through programmes like 'Mann Ki Baat'. Etc are some examples of Citizens' involvement in decision making .

And its significance will be that involvement of people and awareness about government policies among public makes government more accountable.

Utilization of Government's money and formation of budget will be in the right direction rather than being election motivated.

Involvement of people from all sections of the society will make policies more inclusiveness in nature. It gives opportunity to address various problems which are uncovered in mainstream media.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

– सुसंगठित प्रचार के द्वारा समुदाय को शिक्षित, जागरूक व उत्तरदायी बनान।

अतः जन सहभागिता लोकतंत्र का आधार हैं। आज 'सूचना का अधिकार' मौलिक अधिकार बनने जा रहा हैं। सरकारी मंत्रिमंडल में 'जनसंपर्क मंत्री' का पद विद्यमान हैं, 'गोपनीयता कानून' में संशोधन किया जा रहा हैं एवं मध्य प्रदेश प्रशासन में जिला सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं की सफलता उनके प्रचार–प्रसार पर निर्भर बताई जाती है। जन स्वीकृति प्राप्त करना एवं यथानुसार परिवर्तन करना सरकार द्वारा ज्यादा प्रभावी जन सहभागिता के कारण संभव हुआ।

वास्तव में जन सहभागिता वह 'राष्ट्रीय आवश्यकता' हैं जो 'प्रशासन के विकास' एवं 'विकास के प्रशासन' दोनों में समान रूप से उपयोगी है।

I - सरकार की बदलती व्यवस्था में प्रशिक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के उपरांत प्रशासन सहित अधिकांश क्षेत्रों में विशेषता का वर्चस्व बढ़ा हैं। आज स्थूल से सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं सामान्य से विशेषीकरण की ओर झुकाव हैं। लोक सेवाएं भी इस समसामयिक परिवेश व आवश्यकताओं से अछूती नहीं रह सकती हैं। शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु कार्यरत विशाल कार्मिक समूह का प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक हैं।

अतः प्रशिक्षण प्रबंध का सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि उत्तरदायित्व हैं। वास्तव में यह सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना की आधारशिला व भर्ती की प्रथम सीढ़ी हैं। टोरपे के अनुसार 'प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदत, ज्ञान व दृष्टिकोण में सकारात्मक वृद्धि करता हैं।' वास्तव में प्रशिक्षण भर्ती के द्वारा उत्पन्न अयोग्यता को खत्म करता हैं तभी तो विनोबा भावे ने कहा था– कि 'भारत में प्रशासिनक सेवा को भर्ती से अधिक प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए।'

बदलते संदर्भ में प्रशिक्षणः–

''आप किसी व्यक्ति को एक मछली देंगे तो वह उसे खाकर स्वयं का पेट भर लेगा, किन्तु उसे मछली पकड़ने के कार्य में प्रशिक्षित करेंगे तो वह पूरे परिवार का पेट भर लेगा।'' लोक कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् मानव के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व शासन के कंधो पर आ टिका हैं, अतः समग्र विकास गतिविधियों को प्रशासन की विभिन्न शाखाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता हैं। निर्विवाद रूप

9. Throw light on the role of Training in changing governance pattern.

Ans- Training is an organised activity for increasing the knowledge and skills of people for a specific purpose. Of late administration and governments has witnessed many changes. Though the welfarist character of government is very much intact but lot many structural changes are visible in the government. Increased use of technology has created yet another dimensions in the field of governance in the form of E-Governance and M-governance.Role of training has increased many folds which can be understood from the following points-

- Present society is a society based upon knowledge. Chief function of training is to enhance knowledge skills and capabilities therefore training has much increased role to play in the present knowledge-based society.
- Success of e-governance which is based on information technology very much depends upon the technical know how of government servants. Hence providing them technical training has become compulsory.
- Under the change scenario of liberalisation, privatisation and globalisation public servant has to become more protective and business friendly which requires different kinds of skills which can be obtained through new training mechanism.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

से किसी भी संगठन की कार्यकुशलता व उपादेयता उसमें कार्यरत कर्मचारियेां की क्षमताओं से प्रभावित होती हैं, इसलिए कर्मचारियों को समयानुसार प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य हैं। अतः लोक सेवाओं में प्रशिक्षण का निम्न. महत्व हैं–

1. लोक सेवाओं की उद्देश्य की पूर्ति में सहायक।
2. विकास कार्यो को गति देने में सहायक।
3. मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबंध।
4. नए ज्ञान के विस्तार में जरूरी।
5. परिवर्तित परिस्थितियों से सामन्जस्य में सहायक।
6. आत्मविश्वास वृद्धि में सहायक।
7. संगठन की छवि तथा कुशलता में वृद्धि।

J - मध्यप्रदेश के महालेखाकार के कार्य लिखिए।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय, मध्य प्रदेश, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का एक हिस्सा है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। यह कार्यालय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 और 11 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के खातों को संकलित और तैयार करता है।

प्रधान महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय अपने वर्तमान स्वरूप में मई 1985 में स्थापित किया गया था। मुख्य कार्यालय ग्वालियर में शाखा कार्यालय के साथ भोपाल में है, जिसकी अध्यक्षता उप महालेखाकार करते हैं।

महालेखाकार के कार्य:–

- राजकोष, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, और वन प्रभागों से प्राप्त मासिक खातों और राज्य सरकार को उनके रेंडर के आधार पर राज्य सरकार के खर्च और प्राप्तियों के मासिक खातों का संकलन।
- राज्य सरकार के वार्षिक वित्त खातों और विनियोग खातों की तैयारी।
- उप–कोषाध्यक्षों सहित कोषों का निरीक्षण लेखा परीक्षा।
- माननीय राज्यपाल, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों के सदस्यों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्षों और राज्य लोक सेवा आयोग और न्यायाधिकरणों के सदस्यों आदि के संबंध में राजपत्रित कार्य
- लोक निर्माण, जल संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों में कार्यरत राज्य सरकार के

To perform in this environment public servant should be properly trained. Thus, the changing pattern of governance is demanded changes in training pattern so that the role of administration in government could easily be achieved.

J. Write down the functions of Accountant general of MP

Ans- The article 148-151 of our constitution provide for an independent audit and accounts department headed by the Comptroller and Auditor general.

In MP office of Principal Accountant General is located at Gwalior with is a part of Indian audit and accounts department and while functional under general supervision and direction of Comptroller and Auditor General (CAG).

MAJOR FUNCTIONS OF THE OFFICE

Functions of Principal Accountant General:

1.Certification of Finance and Appropriation Accounts.

2.Preparation of Audit Reports related to State Finances and Civil Reports of State Government.

3.Expenditure audit of civil and commercial departments, local and autonomous bodies and PSU of state government.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि खातों का रखरखाव और म.प्र। सचिवालय।

- मध्यप्रदेश में संभागीय लेखा अधिकारी, मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड और और मंडल लेखाकार का कैडर प्रबंधन।
- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्यालयों के लिए वेतन और लेखा कार्यालय का पर्यवेक्षण।मध्य प्रदेश में और महालेखाकार को प्रधान वेतन और लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय (ऑडिट), दिल्ली में प्रस्तुत करना हैं।

K - राष्ट्रीय एकीकरण में अखिल भारतीय सेवायें किस तरह योगदान करती है ?

संपूर्ण देश की प्रशासन में समता और एकरूपता उत्पन्न करने और सामान्य मापदण्डों की स्थापना करनेकी दृष्टि से निश्चित रूप से अखिल भारतीय सेवाओं का महत्व हैं। अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों के संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर देश में एकता व अखण्डता स्थापित करती हैं। इन सेवाओं के अधिकारी प्रादेशिक दबावों से कम प्रभावित होते हैं। वे राज्य एवं केन्द्र के समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। सामान्य संवैधानिक तंत्र के भंग होने पर हर राज्य प्रशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होता हैं। अतः राज्यों में एक निश्चित संख्या में अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के प्रशासन के प्रमुख पदों पर होने के कारण राष्ट्रपति के लिए ये सहायक होती हैं।

भारत में अखिल भारतीय सेवाएं एकता व अखण्डता की प्राप्ति के उपकरण हैं। वे शासन में एक ही प्रतिमान स्थापित करने का कार्य करती हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं की केन्द्रीकृत व्यवस्था संघात्मक ढाँचे को अन्य संघात्मक ढांचो की तुलना में अधिक एकताबद्ध एवं सुदृढ़ हैं। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के समेकन एवं एकता की प्राप्ति का माध्यम हैं वे राष्ट्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित केन्द्र में सहायक होती हैं। इन सेवाओं के द्वारा कुछ ऐसे दृढ़ विचारों वाले प्राधिकारी राज्यों में आते हैं जो राष्ट्र के विकास में निर्भीक होकर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। आज भी अखिल भारतीय सेवाओं का अंतर्निहित उद्देश्य वास्तविक हैं।

K. How does All India services in India promote National Integration.

Ans- Sardar Patel had said: 'You will not have a united India if you do not have a good All-India Service which has independence to speak out its mind'.

Officers have played a crucial role in national integration and national development.

They have the most important role of translating "Swarajya" to "Surajya" – the fruits of development must reach each citizen and each person in this country must feel that there is a perceptible improvement in the quality of life. This is possible only if governance becomes corruption free, citizen-centric and business friendly.

Various initiatives have been taken by bureaucrats and by government in this direction which promote national Integration.

1. GST – making India into a single connected market,
2. GeM – to reform government procurement process.
3. eNAM – creating a national agriculture market by connecting the existing Mandis through an electronic platform.
4. JAM – Jan Dhan, Aadhaar and Mobile using Aadhaar to target government schemes to the poor and the needy sections of the society besides removing intermediaries.

New policy for cadre allocation has been finalised by the Government of India for Officers of the All India Services. Now they have to choose cadres from a set of Zones, instead of States.This is aimed to ensuring "national integration" in the country's top

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

L- भारत में दल व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।

राजनैतिक दलों के बिना कोई भी लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। 'दल–विहीन' लोकतंत्र का विचार एक ''आदर्शलोक'' हैं। भारत में, विदेशी शासन के विरूद्ध संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक एकीकृत शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई, लेकिन बाद में यह एक ''छाता संगठन'' सिद्ध हुई तथा तत्पश्चात् इस कांग्रेस संगठन से अनेक राजनैतिक दलों का उद्भव हुआ।

भारतीय राजनैतिक तंत्र में निम्न. विशेषताएं रेखांकित की गई हैं–

1. **बहु–दलीय तंत्र**– ब्रिटेन, अमेरिका से भिन्न भारत में बहु–दल तंत्र का अस्तित्व हैं। यहां राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय एवं स्थानीय दल भी हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता दल, साम्यवादी दल भाकपा तथा भाकपा कुछ राष्ट्रीय दल हैं।
2. **कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व**:– इसके गठन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश के राजनैतिक जीवन पर बोलबाला रहा है। न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में भी इसका प्रभुत्व रहा हैं, केवल 1967 के छठे आम चुनावों तथा 1977 के आम चुनावों के परिणामों को छोड़कर।
3. **निरंतर गठबंधन, विलय तथा विघटन**:– सरकारें बनाने के लिए, विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन तथा विघटन भारतीय दल तंत्र की एक और विशेषता हैं। अधिकतर दलों ने अपना विभाजन देखा हैं कांग्रेस पार्टी ने 1969 तथा 1978 में अपना विभाजन देखा। कम्पयुनिस्ट पार्टी CPI एवं CPM में विभाजित हो गई। नव निर्मित जनता पार्टी ने केन्द्र में अपनी हार के तुरंत बाद अपना विघटन तथा विभाजन देखा।
4. **दल–बदल**:– भारतीय दल तंत्र का कालानुक्रम दलबदल की घटानाओं से पीड़ित हैं। चौथे आम चुनावों के बाद दल–बदल अति विस्तृत तथा अपरिष्कृत रूप सेप प्रकट प्रथा बन गई।

   दल–बदल की राजनीति का अभी भी दल–राजनीति पर वर्चस्व हैं तथा पक्षांतरण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक भयानक रोग बन गया है।
5. **व्यक्तित्व पंथ**:– संगठन स्थापना से अधिक, ऐसे संगठन से जुड़े हुए व्यक्तित्व पर अधिक उम्मीद रखी जाती हैं। दलों ने मात्र एक नेता के नाम पर चुनाव लड़ा हैं और उसे जीता है। बहुत से दलों ने किसी सशक्त नेता को उत्पन्न करने के अभाव में चुनाव मैदान में हार

L. Write short note on party system in India.

Ans- A political party is a group of people who share similar political views and come together to contest elections and try to hold power in the government. Party system in any country is an outcome of their social, political, economic and historical background.India party system is characterised by the following features -

1. Multi party system : India follows a multi-party system and has the largest number of political parties in the world.
2. In India political parties are organised around prominent leader who enjoys over and above position, than party and its ideology. For example AIADMK in TAMILNADU [M.G. RAMCHANDRA] TDP in Andhra Pradesh [N.T. RAMARAO].
3. COALITION POLITICS: under multi party system attaining majority by single party has become a difficult preposition which has given rise to coalition politics in India. Though the era of coalition politics has ended at Central level but it is still prevalent in many of the states.
4. Lack of effective opposition : 65 years of our constitution history has witnessed lack of effective opposition for Major period of time. Opposition which is very vital for effective function of democracy has failed to play constructive role in politics of India.
5. Lack of clear ideology : Except BJP and 2 communist parties all other parties do not have clear-cut ideology. Though they advocate the ideologies of democracy, secularism, socialism and Gandhism.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

का सामना किया है।

6. **विचारधारा का अभावः**– शायद ही किसी पार्टी की कोई विशिष्ट विचारधारा हैं। भारतीय पार्टी सिस्टम में अलग–अलग विचार, विविध दृष्टिकोण तथा भ्रमित करने वाले तरीके प्रचलित हैं।

7. **प्रभावी विपक्ष की अनुपस्थितिः**– यह केवल 1967 में चौथे आम चुनावों के बाद ही हुआ कि कांग्रेस ने राज्यों में प्रतिरोध का सामना किया। बहुत से राज्यों ने गैर कांग्रेसी सरकार देखी। कांग्रेस दल के सन् 1969में विभातन के पश्चात् एक विपक्ष उभर कर सामने आया लेकिन वो भी एक वर्ष में फीका पड़ गया।

8. **सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रवादः**– भारत में दलों के अस्तित्व की जड़ें सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद की मिट्टी में स्थित हैं। पंजाब में अकाली दल, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग जैसी कुछ पार्टियां हैं जो एक अथवा अन्य समुदाय की सवोच्चता में विश्वास रखती हैं, जबकि तमिलनाडु में DMK तथा AIDMK ऐसी पार्टियां हैं जिनका विश्वास क्षेत्रवाद में हैं।

राजनैतिक दलों की उत्पत्ति का इतिहास सामान्यतः सन् 1885 तक पीछे जाता हैं, जब भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह केवल स्वतंत्रता के उत्तर काल में हुआ कि सही मायनों में राजनैतिक दलों ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा, अनेक राज्य स्तरीय अथवा स्थाानीय राजनैतिक दलों का गठन भी हुआ। वर्तमान में, भारत में राजनैतिक दलों की संख्या राज्यों से भी अधिक हैं। यद्यपि इनमें से कुछ दल राष्ट्रीय दल हैं, अन्य मात्र राज्य दल हैं। एक राष्ट्रीय दल वह है जिसे भारत में किन्हीं भी चार राज्यों में चार प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो। वर्तमान में, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं–

1. कांग्रेस पार्टी
2. बीजेपी
3. सीपीआई
4. जनता दल
5. जनता पार्टी
6. लोक दल

राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय नहीं, क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक। उनकी विचारधारा तथा उनका संगठन उनकी अपील की हद निर्धारित करते हैं। जहां राष्ट्रीय अथवा अन्यथा राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय निर्वाचक वर्ग को आकर्षित करते हैं तथा उनकी विस्तृत अपील होती हैं, वहीं क्षेत्रीय तथा सांप्रदायिक दलों की अपील के परिभाषित क्षेत्र भी होते हैं, व उनकी कार्यों का एक निश्चित स्वरूप होता हैं।

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

300 शब्द 15 अंक

A- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां एवं कार्य लिखिए।300

भारत का नियत्रं महालेखा परीक्षक

(भाग 5, अध्याय 5, अनुच्छेद 148–151)

भारतीय संविधान में एक स्वंतत्र नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। वह देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान–प्रदान का औचित्य तथा अनौचित्य तय करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व कर दाताओं के हितों की सुरक्षा करना है, अतः इसे 'राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक' कहा जाता है। पर अपने नाम के विपरीत, भारत की संचित निधि से धन के निर्गम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता तथा वह केवल लेखा परीक्षक का ही कर्तव्य निर्वहन करता है।

संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का एक नियत्रंक–महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

नियत्रंक महालेखा परीक्षक के कार्य ओर शक्तियां (अनुच्छेद 149–151) : भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अपनी कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग गरेगा (अनुच्छेद 149)। संविधान तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार नियत्रंक महालेखा परीक्षक के कार्य इस प्रकार हैं–

1. संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह से तय किया जाता है (अनुच्छेद 150)।

2. नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ व राज्यों के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के तथा राज्यपाल राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है (अनुच्छेद 151)।

3. नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से सभी प्रकार के व्यय की परीक्षा करता है तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि ऐसे व्यक्ति विधि के अनुसार हैं।

4. वह संघ व राज्यों के आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से हुए व्यय की भी परीक्षा करता है।

1.Write down the functions and powers of the Comptroller and Auditor General of India.

Ans- The Constitution of India provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG). Which is mentioned under Article 148 to 151. CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels- the centre and state.

The Comptroller and Auditor General is appointed by the President for 6 years or 65 years of age. He can be removed by the president on the same ground and in the same manner as judges of the supreme court.

The duties and functions of CAG laid down by the Parliament are :

1.He audit the accounts related to all expenditures from consolidated fund of India and consolidated fund of States.

2.He also audits all expenditure from public accounts and contingency fund of union as well as state.

3.He audits all trading manufacturing, profit and loss account, balance sheet in other subsidiary accounts of centre and state government.

4.He Audit receipts and expenditure of government companies, corporations and bodies substantially financed by the government.

5. He compiles and maintains the account of state.

6.He submits an annual report relating to accounts of centre and state to President and Governor respectively.

Thus the role of CAG is to uphold the Constitution of India and the laws of Parliament in the field of financial administration. The accountability of the executive to parliament in the sphere of financial administration is secured through audit reports of the Comptroller and Auditor General.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

5. वह संघ या राज्य के राजस्व द्वारा वित्त पोषित प्राधिकारी और निकायों के प्राप्ति और व्यय की परीक्षा करता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

B - लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की विस्तार से चर्चा कीजिए।

- नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए दूनिया की सर्वप्रथम जनतांत्रिक संस्था ''स्केंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन'' थी
- ऑम्बुड्समैन की संस्था का निर्माण, सर्वप्रथम स्वीडन में वर्ष– 1809 में हुआ था।
- प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) 1966 ने 'नागरिकों की शिकायत के निपटाने' के लिए 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' नामक दो विशेष अधिकारों की स्थापना की बात की।
- लोकपाल का कार्य, केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के विरूद्ध शिकायतों को निपटाना था।

संरचना

- लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा, जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं।
- लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से आधे न्यायिक पृष्टभूमि से होने चाहिए।
- इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।

चयन समिति

- प्रधानमंत्री–अध्यक्ष।
- लोक सभा के अध्यक्ष–सदस्य।
- लोक सभा में विपक्ष के नेता–सदस्य।
- मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुसंशा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज–सदस्य।
- राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य।
- अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं होगी, क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त था।

पद मुक्ति के बाद

- लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति खत्म होने के बाद अध यक्ष और सदस्यों पर कुछ काम करने के लिए प्रतिबंध लग जाता है।
- इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनिर्नियुक्ति नहीं हो सकती।
- पद छोड़ने के 5 साल बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन किसी राज्य विधान सभा या

2. Discuss the Lokpal and Lokayukta Act, 2013 in detail.

Ans- A welfare state has resulted in extension of government and its various machineries leading to increase in administrative power and discretion. Under such circumstances, there is always chance that public servant may misuse this power leading to citizen grievances. The success of any democracy and realization of socio-economic development depends on the extent to which these grievances are redressed.

The Lokpal and Lokayukta Act, 2013 seeks to provide for the establishment of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for related matters.

Lokpal Lokayukta act 2013 was assented by the President on 1 January 2014.

The act extends to the whole of India, including Jammu & Kashmir and is applicable to "public servants" within and outside India.

The institution of Lokpal is a statutory body. It is a multi member body, made up of one chairperson and maximum of 8 members.

The important features of Lokpal and Lokayukta act 2013 are

- **Chairperson** of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or the former Judge of the Supreme Court or an eminent person having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance including insurance and banking, law and management.
- Out of the maximum eight members, half will be judicial members. Minimum fifty per cent of the Members will be from SC / ST / OBC / Minorities and women.
- The members are to be appointed by the President on the recommendation of a selection committee. This selection committee is made up of :

Prime Minister—Chairperson;

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

निगम या पंचायत के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते।

लोकपाल के अधिकार

- तलाशी और जाब्तीकरण।
- कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होंगे।
- लोकपाल के पास केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल कने का अधिकार होगा।
- संपत्ति को अस्थायी तौर पर नत्थी करने का अधिकार।
- नत्थी की गई संपत्ति की पुष्टि का अधिकार।
- विशेष परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपत्ति आय,प्राप्तियों या फायदों को जब्त करने का अधिकार।
- भ्रष्टाचार के आरोप वाले सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार।
- शुरूआती जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड को नष्ट होने से बचाने के लिए निर्देश देने का अधिकार।
- अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार।
- केंद्र सरकार को भ्रष्टचार के मामलों की सुनवाई के लिए उतनी विशेष अदालतों को गठन करना होगा, जितनी लोकपाल बताए।
- विशेष अदालतों को मामला दायर होने के 1 साल के अंदर उसकी सुनवाई पूरी करना सुनिश्चित करना होगा।
- अगर 1 साल के समय में यह सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। तो विशेष अदालत इसके कारण दर्ज करेगी और सुनवाई 3 महीने में पूरी करनी होगी। यह अवधि 3–3 महीने के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है।

लोकायुक्त (राज्यों में)

- लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा, जो राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश या फिर हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है।
- लोकायुक्त में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
- इसके अलावा कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए।

लोकायुक्त में नियुक्ति की शर्तें

- न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हो सकती है अगर हाईकोर्ट के जज हों या रह चुके हों।
- न्यायिक सदस्य के अलावा सदस्य बनने के लिए पूरी तरह ईमानदार, भ्रष्टाचार निरोधी नीति, लोक प्रशासन सतर्कता, बीमा, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन के मामलों में

Speaker of Lok Sabha
Leader of Opposition in Lok Sabha
Chief Justice of India or a Judge nominated by him / her
One eminent jurist

- The term of office for Lokpal Chairman and Members is 5 years or till attaining the age of 70 years.
- All ministers including Prime Minister and senior public servants are covered by Lokpal excluding the servant under defence process.
- Lokpal will have the power of superintendence and direction over any investigation agency including CBI for cases referred to them by Lokpal.
- the act also provides for setting up of institutions of lokayukta through enactment of law by States within a period of 365 days from the date of commencement of this act.
- The act provide adequate safeguard and protection for honest and upright civil servants.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

कम से कम 25 साल का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो।

- लोकायुक्त भ्रष्टाचार के अरोप लगाने पर किसी भी मामले की जांच कर या करवा सकता हैं, लोकायुक्त निम्न मामलों की जांच कर सकता है–
- ऐसा मामला, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री शामिल हो।
- ऐसा मामला, जिसमें राज्य सरकार का वर्तमान या पूर्व मंत्री शामिल हों।
- ऐसा मामला, जिसमें राज्य विधान सभा का कोई सदस्य शामिल हों।
- ऐसा मामला, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी शामिल हों। एवं अन्य।

C - केंद्र व राज्यों के संबंधों को विस्तार से समझाइए।

भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत राज्यों का संघ है। परन्तु भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की आपसी सहमति या करार का परिणाम नहीं, बल्कि संविधानसभा की घोषणा है जिसे भारत के लोगों की शक्ति प्राप्त है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के कारण भारतीय संविधान में प्रचूर एकात्मक लक्षण विद्यमान है।

संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच तीन प्रकार के संबंधों का वर्णन है–

1. विधायी संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 245–255
2. प्रशासनिक संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 256–263
3. वित्तीय संबंध, भाग 12, अनुच्छेद 264–300

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255)

- अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
- अनुच्छेद 246 में केन्द्र व राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7 वीं अनुसूची के अनुसार किया गया है। 7 वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है–

1. संघ सूची – संसद को 7 वीं अनुसूची के सूची 1 (संघ सूची) में वर्णित विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। संघसूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय वर्णित है जिन पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है।

2. राज्य सूची – राज्य विधान मंडी को 7 वीं अनुसूची के सूची 2 (राज्य सूची) में वर्णित विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषयों को रखा गया है।

C. Discuss the centre-state relations in detail.

Ans- The framers of our constitution perceived the need of strong Central government in order to keep the disintegrating forces in check and to safeguard the integrity of the country. The constitution of India is Federal in form but unitary in spirit. The centre state relations can be summed up under the following heads

Legislative Relations -

Articles 245 to 255 in Part XI deals with different aspects of legislative relations between centre and states. These include

1.Territorial jurisdiction of laws made by the Parliament and by the Legislatures of the States.

2. Distribution of legislative subjects i.e union list, state list and the concurrent list.

3. Power of parliament to legislate with respect to a matter in the State List.

4. Centre's control state legislation.

Administrative Relations-

Articles 256 to 263 in Part XI of the Constitution of India describe administrative relations between centre and state. These include

1.The executive power of centre extend to whole of India similarly executive power of state extended on tertiary.

2. State is under obligation to exercise its executive power in such a way so as to ensure compliance with the laws made by Parliament.

3. Centre is empowered to issue administrative directions to state with respect to construction and maintenance of means of communication, protection

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

3. समवर्ती सूची – 7 वीं अनुसूची के सूची– 3 (समवर्ती सूची) में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्यय विधानमंडल, दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। परन्तु यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाने गये कानून का विरोधाभासी है तो राज्य विध ाानमंडल द्वारा बनाया गया कानून के विरोध की मात्रा तक शून्य समझा जाएगा, चाहे वह संघीय कानून के पहले बनाया गया हो या बाद में (अनुच्छेद 254)। समवर्ती सूची 47 विषय रखे गये हैं।

- अवशिष्ट विधायी शक्तियां (अनुच्छेद 248)
- राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों में विधि बनाने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 249)
- आपात काल में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 250)
- दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 252)
- अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि (अनुच्छेद 253)।

प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256–263)

- राज्यों और संघ की बाध्यता (अनुच्छेद 256)।
- राज्यों पर संघ का नियंत्रण (अनुच्छेद 257)।
- राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति (अनुच्छेद 258)।
- संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (अनुच्छेद 258 क)।

संघ व राज्यों के बीच कुछ अन्य प्रशासनिक संबंध इस प्रकार है –

- राज्यपाल की नियुक्ति
- अखिल भारतीय सेवाएं
- अनुच्छेद 261 यह उपबंध करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी भागों में संघ तथा राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास व पूरी मान्यता दी जाएगी।
- जल संबंधी विवाद (अनुच्छेद 262) : संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी किसी विवाद के निर्णय के लिए कानून बना सकती है।
- राज्यों के बीच समन्वय के लिए, अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263)।
- वित्तीय संबंध (भाग 12, अनुच्छेद 264–300)
- भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे (अनुच्छेद 266)।
- आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)।

of railway and for drawing welfare schemes for scheduled caste and scheduled tribe.

4.To secure cooperation in administrative matters our constitution provides for inter state council under Article 263 and Water dispute tribunal under Article 262.

Financial Relations -

Article 264 to 293 deals with financial relation between centre and state.

Central's control over state is most visible in the field of financial relations and most of the revenues accrues to centre. The financial relation between centre and state can be stated under following heads-

1.Parliament is exclusive power to levy taxes on subject mentioned in the union list, State legislature on subject of state list, both Parliament and state legislature on the subject of concurrent list.

2. Distribution of taxes - constitution draws distinction between power to levy tax, power to collect tax and power to appropriate net proceeding of such tax.

3.Article 275 empowers Parliament make grant to State which are in need of financial assistance.

4.Article 282 empowers both the centre and the states to make Discretionary grants for public purpose.

5.Apart from these Finance Commission also plays an important role in suggesting distribution of net proceeds of taxes between centre and state.

Citing all the three relation between centre and state we can easily conclude that constitution has assigned the position of superiority to the centre in all spheres. This superiority is more visible in financial matters. This is done by our constitutional maker so as to resolve conflict and ensure harmony.

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone

- निधियों की अभिरक्षा (अनुच्छेद 283)।
- संघ व राज्यों के बीच राजस्व का विवरण : संविधान में संघ व राज्यों को विभिन्न मामलों में कर सकते तथा राजस्व संग्रहीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। करों के संबंध में कोई समवर्ती क्षेत्र नहीं है।
- संघ द्वारा अधिरोपित तथ राज्यों द्वारा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क (अनुच्छेद 268)
- संघ द्वारा अधिरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अनुच्छेद 269)।
- शुल्क व करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार (अनुच्छेद 271)।
- राज्यों को संघ से अनुदान (अनुच्छेद 275)।
- स्थानीय स्वशासी इकाइयों के लिए कर (अनुच्छेद 276)।
- शुद्ध आगम की गणना (अनुच्छेद 279)।
- राज्यों के कर अधिरोपण का निर्बंधन (अनुच्छेद 286)
- उधार लेना : संघ की कार्यपालिका को, संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन, भारत की संचित निधि से उधार लेने की शक्ति होगी (अनुच्छेद 292)। इसी प्रकार, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन, राज्य की संचित निधि से उधार ले सकती है। (अनुच्छेद 293)।
- राज्य क्षेत्र के सागर खंड तथा महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित संपत्ति, भूमि तथा खनिज भारत संघ में निहित होगी (अनुच्छेद 297)।
- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 201–307)।
- वित्त आयोग (Finance Commission) (अनुच्छेद 280–281)।

D - भारत की राजकोषीय नीति के नियंत्रण में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका होती है ? चर्चा कीजिए।

भारत में विकास योजना में वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वित्तीय संस्थान की देखरेख करता है और देश के समग्र वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

यह भारत सरकार के भीतर एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो कराधान, केंद्रीय बजट, केंद्र–राज्य वित्त, पूंजी बाजार, कानूनों और संस्थानों से संबंधित है जो वित्त से संबंधित हैं।

हाल ही में वित्त मंत्रालय में पाँच विभाग शामिल हैं जो हैं–

1. आर्थिक मामलों का विभाग

4. Discuss the role of the Finance Ministry in controlling the fiscal policy in India.

Ans- The Ministry of Finance plays a very crucial role in development planning in India. It supervise the financial institution and is responsible for the overall financial management of the country.

It is an important ministry within the Government of India that deals with taxation, Union budget, centre-state finance, capital market, laws and institutions that are related to finances.

Recently Finance ministry comprises of five departments which are-

1. Department of economic affairs
2. Department of expenditure
3. Department of revenue
4. Department of financial services
5. Department of disinvestment

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE

2. व्यय विभाग
3. राजस्व विभाग
4. वित्तीय सेवाओं का विभाग
5. विनिवेश विभाग

राजकोषीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका –

राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व को बढ़ाने और सरकारी खर्चों को बढ़ाने से संबंधित है। सरकार द्वारा अपनी राजकोषीय नीति में नियोजित मुख्य उपकरण बजट है। इस संबंध में विशिष्ट विभाग की भूमिका हैं–

1. आर्थिक मामलों के विभाग अपने विभिन्न विंगों के माध्यम से राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण और नियंत्रण तैयार करता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे कि भुगतान मूल्य की अतिरिक्त मुद्रास्फीति को ठीक करता है।

2. व्यय विभाग के माध्यम से राजकोषीय नीति को प्रभावित करता है–

– वित्तीय नियमों और विनियमों का गठन।
– वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने में मदद करके।
– राजकोषीय कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण अदालत खेलकर। लेखांकन आदि से संबंधित कानून।

3. राजस्व विभाग – आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, आबकारी विभाग और मादक पदार्थों के विभाग के माध्यम से कर और गैर कर राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. वित्तीय सेवा विभाग – यह बैंकिंग और बीमा सेवाओं के संबंध में नियामक विभाग है। यह वाणिज्यिक बैंक नीति, कृषि ऋण नीति, आवास नीति, औद्योगिक वित्त नीति को अतिरिक्त रूप से फ्रेम करता है।

यह सब हमारे देश की राजकोषीय नीति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है।

वित्त मंत्रालय योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शब्द में, मंत्रालय विकास, वित्तीय स्थिरता और सुशासन की रीढ़ है।

www.kautilyaacademy.com
www.facebook.com/KTSZone
KAUTILYA ACADEMY INDORE